

सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2011-2012

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002

विषय सूची

कुम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1
2.	योजना विभाग-स्टाफ स्थिति	1
3.	संगठनात्मक ढांचा	2
3.1.	राज्य योजना बोर्ड	2-3
3.2.	मुख्यालय	4
	(1) प्रशासन प्रभाग	4
	(II) योजना प्रारूपण प्रभाग	5-6
	(III) योजना कार्यान्वयन	6-8
	(IV) पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	8-10
	(V) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	10-12
	(VI) जन शक्ति एवं रोजगार प्रभाग	12-13
	(VII) बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग	13-16
	(VIII) नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग	17-21
	(IX) २०-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग	21-22
	(X) रेलवे प्रभाग	22-24
	(XI) मूल्यांकन प्रभाग	24-25
	(XII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	25
	(XIII) कम्प्यूटर प्रभाग	26
3.3.	जिला कार्यालय	27
4.	सूचना का अधिकार नियम २००५	27-32

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथिमकताओं एवं सकल योजना परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है । इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, योजना स्कीमों की नियमित समीक्षा, वाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विशलेषण और आर.आई.डी. एफ. कार्य योजना विभाग द्वारा किये जा रहे हैं । योजना विभाग द्वारा जन-शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, २०-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा, प्रदेश में रेल विस्तार, इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है ।

2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति

क 0 सं0	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	पै-बैंड (₹ में)	ग्रेड– पे (₹ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	ı	1	*	*
2.	उपाध्यक्ष, २०-सूत्रीय कार्यक्रम	1	-	1	*	*
3.	सलाहकार (योजना)	1	1	-	37400 – 67000	8800
4.	संयुक्त निदेशक	1	-	1	15600 – 39100	7600
5.	उप-निदेशक	5	5	-	15600 – 39100	6600
6.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	20	16	4	10300 - 34800	5400
7.	साख योजना अधिकारी	10	10	-	10300 - 34800	5000
8	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	17	-	10300 – 34800	4200
9.	सांख्यिकीय सहायक	20	15	5	10300 – 34800	3800
10.	गणक	6	5	1	5910 – 20200	1900
11.	कार्यक्रम योजना अधिकारी	1	1	-	10300 - 34800	4200
12.	गणक संचालक	2	2	-	10300 – 34800	3600
13.	निजि सचिव	1	-	1	10300 – 34800	5000
14.	निजि सहायक	2	1	1	10300 - 34800	4200
15.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	-	10300 - 34800	3800
16.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	-	5910 – 20200	2800
17.	आशुटंकक	12	2	10	5910 – 20200	2000
18.	अधीक्षक	1	1	-	10300 - 34800	4200
19.	वरिष्ठ सहायक	20	20	-	10300 - 34800	3800
20.	कनिष्ठ सहायक	13	13	-	5910 – 20200	2800
21.	लिपिक	3	2	1	5910 – 20200	1900
22.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	-	4900 – 10680	1650
23.	चालक	3	3	-	5910 – 20200	2400
24.	चपड़ासी	20	20	-	4900 – 10680	1300
25.	चौकीदार	1	1	-	4900 – 10680	1300
26.	फाश	1	1	-	4900 – 10680	1300
27.	जमादार	1	1	-	4900 – 10680	1300
28.	सफाई कर्मचारी	1	1	-	4900 – 10680	1300
N	<u>aga</u>	172	146	26	,	

^{* :} राज्य योजना बोर्ड तथा २०-सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है ।

3. संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचा का विववरण निम्न है:-

- 1. राज्य योजना बोर्ड ।
- 2. मुख्यालय
- 3. जिला कार्यालय ।

3.1. राज्य योजना बोर्डः

सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 26 अगस्त, 2009 को किया गया है ।

राज्य योजना बोर्ड की संरचनाः

- (i) अध्यक्ष-माननीय मुख्यमन्त्री
- (ii) गैर-सरकारी सदस्य
 - 1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
 - हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) अलग से अधिसूचित ।
 - किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति,जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक-एक प्रतिनिधि – अलग से अधिसूचित ।
 - 4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक अलग से अधिसूचित ।
 - 5. सेवानिवृत मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी अलग से अधिसूचित ।

(iii) सरकारी सदस्य

- 1. मुख्य सचिव
- 2. समस्त प्रशासनिक सचिव
- 3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

(iv) पदेन सदस्य (Ex Officio)

- 1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
- 2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला
- (V) सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)
- II. **नियुक्ति की शर्तेः** सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं ।
- III. **योजना बोर्ड मुख्यालयः** योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं ।

IV. योजना बोर्ड के कार्यः

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन-शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन ।
- प्रदेश के सीमित साधनों का समान एवं अधिकतम् उपयोग हेतु योजना तैयार करना राज्य सरकार को वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न प्रक्रियों का परीक्षण करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में रुकावट पैदा करने वाले कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण ।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव।
- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।
- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।
- वर्तमान आर्थिक रिथित एवं नीतियों का विशलेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विशलेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्ड की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली किठनाईयों का पता लगाना तथा इन किठनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में 23 फरवरी, 2012 को राज्य योजना बोर्ड की बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में वार्षिक योजना 2012−13 के लिए ₹ 3700.00 करोड़ के आकार को चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया । योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा भी इस प्रस्तावित आकार को अनुमोदित किया गया है ।

3.2. मुख्यालयः

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :-

1.	सम्बन्धित मंत्री	मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2.	प्रशासनिक सचिव	प्रधान सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, रेलवे, 20-सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई.डी.एफ. कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । उप-निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं । एक उप-निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं । प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

I. प्रशासन प्रभागः

1 फरवरी, 2010 से संयुक्त निदेशक की पदोन्नित सलाहकार, योजना के रूप में होने के उपरान्त संयुक्त निदेशक का पद रिक्त है । उप-निदेशक, प्रशासन को 1.2.2010 से कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया है। प्रशासन प्रभाग उप-निदेशक, प्रशासन की देख-रेख में कार्य करता है । इस प्रभाग में निम्न स्टाफ कार्यरत है :-

1.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	1
2.	अधीक्षक	1
3.	वरिष्ठ सहायक	4
4.	कनिष्ठ सहायक	3
5.	लिपिक	2
6.	सन्देशवाहक	1
7.	चौकीदार	1
8.	फाश	1
	कुल :-	14

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरुरतों के अनुसार कार्य करता है । प्रभाग में मुख्य कार्य जैसे कि पदों का भरना, पदोन्नित, स्थानातरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपीट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपित, पीएसी, सीएजी, इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए हैं ।

II. योजना प्रारूपण प्रभागः

योजना प्रारूपण प्रभाग द्वारा वर्ष २०११-२०१२ के दौरान किए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. राज्य की वर्ष 2012-2013 का ड्रॉफट योजना प्रारूप तैयार करना :

वार्षिक योजना २०१२-२०१३ का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करने हेतु सम्बन्धित सभी विभागों / एजैन्सियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत वार्षिक योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने तथा विभिन्न एजैन्सियों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात वार्षिक योजना 2012-13 का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करके कार्यसाधक समूह एवं योजना आयोग, उपाध्यक्ष, योजना आयोग एवं माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के स्तर पर होने वाली बैठकों के लिए प्रस्तुत किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना (2012–13) का आकार ₹ 3700.00 करोड़ प्रस्तावित किया गया था जिसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सैक्टरवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(₹ करोड़ों में)

क्रम	सैक्टर	वार्षिक योजना (२०१२-२०१३)			
संख्या		परिव्यय			
1.	2.	3.			
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	480.30			
2.	ग्रामीण विकास	172.09			
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	25.00			
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	273.47			
5.	ऊर्जा	581.92			
6.	उद्योग एवं खनन	36.97			
7.	संचार एवं पीरवहन	778.76			
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	15.23			
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	89.65			
10.	सामाजिक सेवाएं	1189.56			
11.	सामान्य सेवाएं	57.05			
	कुल	3700.00			

तत्पश्चात मांग/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप-लघु शीर्षवार परिव्यय तैयार करके वर्ष (२०१२-१३) के योजना परिव्ययों को वित्त विभाग को बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया।

2. राज्य योजना बोर्ड :

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड के साथ दिनांक 23 फरवरी, 2012 को बैठक का आयोजन किया गया व राज्य की आगामी वार्षिक योजना 2012−13 के लिए ₹ 3700.00 करोड़ का आकार चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया।

5. विविधः

योजना विभाग ने विभिन्न विभागों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 23 मई, 2011 तथा 56वीं राष्ट्रीय विकास परिषद की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 22 अक्तूबर, 2011 को माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश के बीच हुई बैठकों के लिए समन्वय स्थापित किया ।

III. योजना कार्यान्वयन प्रभागः

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त योजना बजट की कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्न प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई :-

- 1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की आवश्यकता, योजना प्राथमिकताओं को समक्ष रखते हुए विचलन या पुनर्विनियोजन करता है ।
- 2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिस में व्यय की सम्भावनाएं कम हों या कोई परियोजना जिसे चालू वर्ष में चलने की सम्भावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुऐ उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है ।
- 3. आधिक्य के प्रस्तावों के सन्दर्भ में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई तथा तत्काल ऐसे प्रकरण निपटाए गए ।
- 4. विभागों से प्राप्त चिन्हांकित/गैर चिन्हांकित विकास शीर्षों में फेरबदल के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही की गई और संशोधित योजना परिव्यय की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त की गई । योजना आयोग, भारत सरकार ने वार्षिक योजना 2011−12 के योजना आकार ₹ 3300.00 करोड़ को अनुमोदित किया है ।
- 5. इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से 249 संन्दर्भ परामर्श हेतू प्राप्त हुए जिसके परीक्षणोपरान्त उचित अभिमत विभागों को प्रदान किए गए ।
- 6. बजट के अनुरुप योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण योजना को बजट के साथ कम्प्यूटर सॉफटवेयर के माध्यम से जोड़ा गया।

1. त्रैमासिक आधार पर योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षाः

इस प्रभाग को वार्षिक योजना के विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत योजना व अन्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया है । योजना व्यय / अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बद्ध स्कीमों के व्यय के लिए निम्न मापदण्डों को निर्धारित किया गया है :-

(क) योजना व्ययः-

कम संख्या	तिमाही	व्यय प्रतिशतता
1	प्रथम तिमाही	20
2	द्वितीय तिमाही	25
3	तृतीय तिमाही	30
4	चतुर्थ तिमाही	25
	कुल :	100

(ख) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बद्ध स्कीमें:-

कम संख्या	तिमाही	व्यय प्रतिशतता
1	प्रथम तिमाही	30
2	द्वितीय तिमाही	35
3	तृतीय तिमाही	35
4	चतुर्थ तिमाही	_
	कुल :	100

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय से राज्य की वार्षिक योजना (२०११-१२) की केन्द्रीय सहायता धनराशि की निर्मुक्ति शीघ्र करवाने के लिए संशोधित योजना परिव्यय वित्त पोषण स्कीम सहित, ३१ दिसम्बर, २०११ तक योजना व्यय और वार्षिक योजना २०१०-११ के अन्तिम पुष्ट व्यय आंकड़े वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग, भारत सरकार को भेजे गए ।

वर्ष २०११-१२ में समस्त कार्यान्वयन विभागों के साथ योजना समीक्षा बैठकों का निम्नानुसार आयोजन किया गया:-

- 1. दिनांक 19 मई, 2011 को मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की (वार्षिक योजना 2010-11) बैठक
- 2. दिनांक २७ जुलाई, २०११ को मुख्य सचिव हि० प्र० सरकार की अध्यक्षता में ३० जून, २०११ को समाप्त प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक ।
- 3. दिनांक ७ दिसम्बर, २०११ को मुख्य सचिव हि० प्र० सरकार की अध्यक्षता में ३० सितम्बर, २०१० को समाप्त द्वितीय त्रैमासिक समीक्षा बैटक ।
- 4. दिनांक २१ जनवरी, २०११ को मुख्य सचिव हि० प्र० सरकार की अध्यक्षता में ३१ दिसम्बर, २०१० को समाप्त तृतीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक ।

2. त्रैमासिक बजट आबंटन :

सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार वर्ष 1999-2000 से नई बजट आबंटन प्रणाली को आरम्भ किया गया है । वर्ष 2011-12 में इस प्रणाली के तहत सभी विभागों को तिमाहीवार प्राधिकृत योजना बजट भेजा गया तथा इसके आधार पर व्यय सूचना एकत्रित की गई ।

3. बजट आश्वासन :

बजट भाषण के अनुरुप बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मासिक बैटकों का आयोजन किया जाता है । वर्ष 2011-12 के बजट आश्वासनों की सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित की गई तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैटक में समस्त विभागों को बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए ।

4. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं :

राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राज्य के संसाधनों को बढ़ाने में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान में शत-प्रतिशत एवं कुछ केन्द्रीय एवं राज्य भाग पर आधारित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

इस प्रभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्य किए गए :-

- 1. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकारी विभागों को इन स्कीमों के कार्यान्वयन एवं वित्तीय पोषण हेतु परामर्श दिए गए ।
- 2. केन्द्रीय सरकार के मेंत्रालयों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय रखा गया ।

5. एैंड मैमॉयर /भारत सरकार में लबित मामले

इस संकलन में प्रदेश सरकार के भारत सरकार में लिम्बत मामलों को पत्राचार सिहत शामिल किया जाता है। वर्ष 2011–12 में इस दस्तावेज का संकलन कर माननीय सांसदों एवं भारत सरकार में हिमाचल प्रदेश कैंडर के अधिकारियों को भिजवाया गया है।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रभागः

प्रदेश सरकार द्वारा विकास में विद्यमान सूक्ष्म एवं क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना की परिकल्पना को विकसित किया गया । प्रदेश सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण के अनुरूप पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जोकि तब से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है । नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:-

- (क) पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया :-
- (i) **पिछडे घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायते पिछड़ी घोषित हों, को पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । वर्तमान में प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछड़ी पंचायतें आती हैं ।
- (ii) **कंटीगुअस पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित किए गए । प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछड़ी पंचायतें आती हैं ।

- (iii) **बिखरी पंचायतें** : जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित की गई । प्रदेश में कुल 114 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं ।
- (ख) चयनित १३ विकास शीर्षो के कुल परिव्यय का १५ प्रतिशत भाग पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के लिए चिन्हांकित किया जाता है ।
- (ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।
- (घ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात मे किया जाता है ।
- (इ) उप-योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

प्रदेश में कुल 551 पंचायतें पिछड़ी घोषित की जा चुकी हैं । उप-योजना के अलग बजट प्रबन्धन के लिए नई मांग संख्या-15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना सरकार द्वारा सृजित की गई है । वर्ष 2011-12 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत ₹ 2000.00 लाख का बजट प्रावधान योजना में तथा ₹ 3736.00 लाख गैर-योजना में था । वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 2500.00 लाख का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है ।

पिछड़ी घोषित पंचायतों की समीक्षा

वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सभी पिछड़ी घोषित पंचायतों का सर्वेक्षण करवाया जाए तथा यह पता लगाया जाए कि इनमें से कितनी पंचायतें निर्धारित मानकों को पार कर चुकी हैं तथा यह भी निर्णय लिया गया कि पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए निर्धारित मानकों का भी पूरा परीक्षण किया जाए । वर्तमान मानकों के अनुसार प्रदेश की 3243 पंचायतों का सर्वेक्षण किया गया तथा इस सर्वेक्षण से कुल पिछड़ी घोषित 551 पंचायतों में से केवल 11 पंचायतें ही इन मानकों के आधार पर पिछड़ी पार्ड गई ।

आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश के बदलते स्वरूप के मध्यनजर योजना विभाग द्वारा पंचायतों को पिछड़ा घोषित करने के मानकों में परिवर्तन का मामला विचाराधीन है जिसे यह प्रभाग coordinate कर रहा है।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2011-12 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(₹ लाखों में)

कुम	जिला	पिछड़ी	पिछड़ा क्षेत्र उप योजना २०११-१२ परिव्यय					
संख्या		घोषित	योजना	अनुमानित व्यय	गैर- योजना	अनुमानित		
		पंचायतों की	परिव्यय		परिव्यय	व्यय		
		संख्या						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1	बिलासपुर	15	54.00	54.00	102.00	102.00		
2	चम्बा	159	577.00	577.00	1079.00	1079.00		
3	हमीरपुर	13	47.00	47.00	88.00	88.00		
4	काँगड़ा	17	62.00	62.00	115.00	115.00		
5	कुल्लू	79	287.00	287.00	536.00	536.00		
6	मण्डी	149	541.00	541.00	1010.00	1010.00		
7	शिमला	83	302.00	302.00	563.00	563.00		
8	सिरमौर	26	94.00	94.00	176.00	176.00		
9	सोलन	7	25.00	25.00	47.00	47.00		
10	ऊना	3	11.00	11.00	20.00	20.00		
	योग	551	2000.00	2000.00	3736.00	3736.00		

पिछडा क्षेत्र उप-योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य जैसे कि बजट आवंटन, उप-योजना की समीक्षा एवं प्रोबोधन, ए.जी./ सी.ए.जी., विधान सभा, इत्यादि से सम्बन्धित कार्य वर्ष 2011-12 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रभाग द्वारा निष्पादित किये गये ।

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभागः

राज्य स्तर से विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का संचालन तथा मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रमों के संदर्भ में किए गए किया-क्लापों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

स्थानीय स्तर पर विकास प्रिक्या में अधारभूत ढांचे की प्रतिपूर्ति तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने व सरकारी प्रयत्नों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में विकास में जन सहयोग कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है तथा नकद सामुदायिक भागीदारी को सम्बन्धित उपायुक्तों के नाम से बैंक / डाकघरों में खोले गए खातों में जमा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 10.00 लाख कार्य लागत तक की कार्य योजनाओं को उपायुक्तों द्वारा, ₹ 20.00 लाख तक की कार्य योजनाओं को योजना निदेशालय, ₹ 40.00 लाख तक की योजनाओं को सचिव (योजना) एवं ₹ 40.00 लाख से अधिक की योजनाओं को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकृत करने की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 800.00 लाख की धनराशि उपायुक्तों को उनके स्तर पर कार्य स्वीकृतियां (किन्नौर और लाहौल-स्पित जिलों को छोड़कर) जारी करने के लिए प्रदान की गई।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास करवाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आवंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 3761.75 लाख की धनराशि समस्त उपायुक्तों (किन्नौर और लाहौल- स्पिति जिलों को छोड़कर) को उनके स्तर पर स्वीकृतियों जारी करने के लिए उपलब्ध करवाई गई है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनाः

विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना कार्यक्रम का आरम्भ किया गया था लेकिन वर्ष 2001-02 में इस स्कीम को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2003-04 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है तथा ₹ 24.00 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक को अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने हेतु आबंदित की गई थी। माननीय विधायकों द्वारा इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन एवं समीक्षा अधिक प्रभावी एवं व्यापक हुई है। इस योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी क्षेत्रों का राजनीतिक भेदभाव के बिना, सन्तुलित विकास हुआ है तथा सभी विधायकों को एक समान धनराश आवंदित की जाती है। वर्ष 2010-11 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 1956.12 लाख की धनराश गैर जन जातीय जिलों को कार्यों के कार्यन्वयन हेतु, मु0 ₹ 30.00 लाख प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, उपलब्ध करवाई गई है। इस ₹ 30.00 लाख की धनराश में से ₹ 5.00 लाख की धनराश माननीय विधायकों की अनुशंसानुसार मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार खर्च की जाएगी।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजनाः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के अतिरिक्त गांवो के कच्चे रास्तों को भी पक्का करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना वर्ष 2002-2003 में 10 गैर-जनजातीय जिलों में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 2 कि0 मी0 लम्बी जीप / ट्रैक्टर योग्य सड़कों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2004-05 में इस योजना को बन्द कर दिया गया था । वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस योजना को पुनः आरम्भ किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 500.00 लाख की बजट धनराश प्रावधित की गई है तथा सम्पूर्ण धनराश गैर जनजातीय जिलों के उपायुक्तों को कार्यो के कार्यन्वयन हेतु जारी की जा चुकी है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजनाः

वर्ष 1993-94 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना को प्रदेश में आरम्भ किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत माननीय सांसद सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत छोटे-छोटे कार्यों जैसे कि पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, इत्यादि के निर्माण की अनुशंसा की जाती है। कार्यों की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को वर्ष 1993-94 से ₹ 5.00 लाख की धनराशि प्रदान की जाती थी जिसे वर्ष 1994-95 में बढ़ाकर ₹ 1.00 करोड़ कर दिया गया था । वर्ष 1998-99 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि प्रत्येक संसद सदस्य को प्रदान की जाती है । वर्ष 2011-12 से इस राशि को भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर ₹ 5.00 करोड़ किया है ।

6. जिला इनोवेटिव फण्डः

13वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से District Innovative Fund (DIF) स्कीम आरम्भ की गई है । इस स्कीम के अन्तर्गत चार वर्षों में (2011-12 से 2014-15) ₹ 12.00 करोड़ (12 जिलों को ₹ 1.00 करोड़ प्रति जिला) जारी किए जाने है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमों के लिए सरकारी व निजि अंशदान की भागीदारी 90:10 दर में है । वर्ष 2010-11 में इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को ₹ 25.00 लाख की धनराशि जारी की जा चुकी है ।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभागः

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :-

(i) जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करनाः

इस पुस्तिका को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई एवं पुनःनिरीक्षण आवश्यक है। इस तथ्य पुस्तिका के तीन भाग हैं । भाग एक में जनसंख्या के लक्षणों की विस्तृत जानकारी तथा इसकी प्रिक्षप्त वार्षिक वृद्धि और राज्य में श्रम शिक्त की रचना है । भाग दो में निजि एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार से सम्बन्धित सांख्यकीय तालिकायें तथा रोजगार कार्यालयों में चालू रिजस्टर में प्रार्थियों की सख्या तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता दर्शाई जाती है । भाग तीन में राज्य में उपलब्ध शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं बारे जानकारी दी जाती है जैसे कि राज्य में संस्थानों की संख्या, अध्यापक, नामांकन, अर्न्तग्रहण (Intake) तथा बाहयार्पण (Outturn) । इस अविध के दौरान नए अध्ययन के प्रकाशन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(ii) ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकडों के आधार पर रिपोर्टः

ई.एम.आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों पर तिमाहीवार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 1988 से आरम्भ किया गया है । संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों के वर्ष 2009-10 की तिमाहीवार सूचना शीघ्र ही प्रकाशित कर दी गई है । जबिक वर्ष 2010-11 की रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है ।

(iii) राज्य सरकार की रोजगार योजनाः

क्योंकि ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उददेश्य बेरोजगारी की समस्या का निदान करना है इसलिए वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना में हिमाचल प्रदेश की रोजगार रिथति पर एक अध्याय सिम्मिलित किया गया है जिसमें प्रदेश की रोजगार नीति, जनसंख्या व श्रिमकों की विश्लेषणात्मक रिथित तथा प्रदेश की रोजगार योजना को दर्शाया गया है ।

राज्य सरकार की रोजगार योजना के लिये अनुश्रवण एवं समीक्षा नीति :

योजना विभाग रोजगार सृजन से सम्बन्धित सूचना मासिक आधार पर समस्त सम्बन्धित विभागों से एकत्रित करता है । राज्य सरकार ने रोजगार योजना के अन्तर्गत त्रिमुखी रोजगार नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत (1) सरकारी क्षेत्र में रोजगार, (2) संगटित तथा स्वरोजगार क्षेत्र में रोजगार और (3) मजदूरी घटक रोजगार सृजन को राज्य सरकार की रोजगार नीति माना गया है। रोजगार सृजन की वित्तीय एवं भौतिक उपलिख्यों की समीक्षा मासिक स्तर पर नियमित रूप से की जाती है । विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लक्ष्यों के विरुद्ध उपलिख्ययाँ प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

(iv) दक्षता उब्नयन (Skill Development)

राष्ट्रीय दक्षता उन्नयन मिशन के अनुरूप मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में राज्य दक्षता उन्नयन मिशन का गठन कर दिया गया है तथा इसकी बैठकें समय-समय पर नियमित रूप से की जा रही है । दक्षता उन्नयन पर राज्य सरकार की कार्य योजना (Action Plan) तैयार की जा रही है तथा समस्त सम्बन्धित विभागों को उनकी विस्तृत टिप्पणी/प्रस्ताव भेजने बारे अनुरोध किया गया है ताकि उनसे प्राप्त प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में समेकित रूप से सिम्मिलत किए जा सकें ।

VII. बाह्य-सहायता परियोजना प्रभागः

प्रशासनिक उपयुक्तता लाने के लिए योजना विभाग के वाह्य-सहायता परियोजना प्रभाग को परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है । जिसके लिए अनुशासित एंव तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना पड़ता हैं । योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वितीय प्रबन्ध के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एंव वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है । उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एंव अनुश्रवण करता है । यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु सीधे पत्राचार करता है । प्रधान सचिव, योजना, हि०प्र० सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रभाग द्वारा वर्ष २०११-१२ के दौरान किए गये कार्यों का विवरणः

- राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वार्षिक वितीय एंव भौतिक लक्ष्यों की परिदृष्टि में त्रैमासिक समीक्षा करना ।
- 2. केन्द्र से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की समीक्षा करना तथा व्यय के विरुद्ध दायर प्रतिपूर्ति दावों को आर्धिक कार्य विभाग, वित मन्त्रालय, भारत सरकार से निमुर्कत करवाने के लिए एक कड़ी का कार्य करना ।
- 3. विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने के सन्दर्भ में परामर्श देना ।
- 4. योजना आयोग, भारत सरकार के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से सम्बन्धित सब ग्रुप की मीटिंग के लिए वार्षिक योजना 2012-13 के लिए मसौदा तैयार करना ।

अन्य कार्यः

इस प्रभाग द्वारा वर्ष २०११-१२ के दौरान निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों से नई परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने हेतू समन्वय किया गयाः-

- 1. विश्व बैंक ।
- 2. एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.)
- 3. जापान अंन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA)
- 4. जी. आई. जैड.।

उपरोक्त संस्थानों तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को, परियोजना प्रस्ताव आमिन्त्रित करने के लिए, सम्बन्धित विभागों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया गया कि वे राज्य की प्राथिमकताओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव बनाएं। योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वितीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण किया गया तथा अनुमोदनोपरान्त सभी परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों को इस सलाह के साथ लौदाए गये कि वे प्रस्तावों

को अपने सम्बन्धित केन्द्र सरकार में मन्त्रालयों के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सम्बन्धित वित्त प्राधिकरणों के साथ वित्तीय सहयोग के लिए उठाये ।

नई प्रस्तावित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं :-

एशियन विकास बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश स्वच्छ उर्जा पारेषण (Transmission) निवेश कार्यक्रम जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित, हिमाचल प्रदेश पाँवर ट्रांसिमशन कारपोरेशन, द्वारा कार्यन्वित किया जाएगा तथा इसकी अनुमानित लागत ₹ 1927.00 करोड़ रुपये होगी। इस प्रयोजन के लिये एशियन विकास बैंक ₹ 1540 करोड़ रुपये (कुल अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत) का ऋण उपलब्ध करवाएगा तथा प्रदेश सरकार इसके लिए ₹ 387.00 करोड़ रुपये प्रदान करेगी जो कि कुल अनुमानित लागत का 20 प्रतिशत होगा। बहु सुविधा रूपरेखा (multi facility framework) तीन भागों में अपेक्षित है। यह बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना 6 वर्ष में कार्यन्वित की जानी प्रस्तावित है जिसकी अविध वर्ष 2012 से 2017 तक निर्धारित है।

हिमाचल प्रदेश व ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के मध्य द्विपक्षीय सहयोगः

हिमाचल प्रदेश सरकार एवं कनाडा के उच्चायुक्त व चण्डीगढ़ स्थित कनाडा हाई कमीशनर के प्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। कई चरणों की बैठकों/विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद पारस्परिक आदान-प्रदान और सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बनाने व मजबूत करने के लिए 16 नवम्बर, 2011 को चण्डीगढ़ में हिमाचल प्रदेश सरकार व कनाडा के ब्रिटिश कोलिम्बया प्रांत के मध्य 'आश्य पत्र' हस्ताक्षरित किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से श्रीमित राजवन्त सन्धू, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा ब्रिटिश कोलिम्बया प्रान्त की ओर से Ms. डाना हेडन, उप मन्त्री, ब्रिटिश कोलिम्बया द्वारा आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे बाह्य सहायता प्राप्त एवं विचाराधीन बाह्य सहायता परियोजनाओं की सूचना क्रमशः अनुबन्ध **"अ" एवं "ब"** पर है ।

अनुबन्ध-"अ" हि०प्र० में कियान्वित की जा रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति (31-03-2012 तक)

(रॅ करोड़ों में)

क0 सं0		कुल	लागत	आरम्भ	तारीख	हिस्सेदा	री पद्धति	ਹ ਹ	ति ।	1€	-12 में य 12 तक) के लक्ष्य	ਸ਼ੁਰਿਪ 31.03	11-12 में पूर्तिया .12 तक
	परियोजना का नाम	मूल	संशोधित	परियोजना की तारीख	समाप्ति की	बाह्य सहायता प्रतिशतत		कुल व्यय 31-3-2011	कुल प्रतिपूति प्राप्तियां 31.03. 2011 तक	वर्ष 2011-12 के लिए आवंटन	वर्ष 2011-12 में व्यय 31.03.2012 तक	र्क्य २०११-१२ लिए प्रतिपूर्ति	दाखिल/ दायर	प्राप्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त हि०प्र० राज्य सड़क परियोजना	1365.43	1770.75	07/2007	06/2013	72.50	27.50	486.70	185.25	270.00	294.83	315.00	211.09	240.94
2.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना	365.00	365.00	10/2005	03/2013	80.00	20.00	250.01	198.71	55.00	55.00	31.00	46.70	46.70
3.	जे०आई०सी०ए० सहायता प्राप्त स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना	160.00	160.00	03/2006	03/2014	85.00	15.00	73.43	62.95	35.00	35.00	21.00	30.96	28.14
4.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त हाईड्रोलोजी परियोजना–१ १	49.50	49.50	04/2006	06/2012	77.76	22.24	23.94	14.75	13.50	8.49	7.35	7.77	8.58
5.	एशियन विकास बैंक सहायता से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अधोसरंचना विकास निवेश कार्यकम	428.22	428.22	2010	2020	70.00	30.00	0.10	-	10.00	2.65	6.00	1.93	1.93
6.	जे०आई०सी०ए० सहायता प्राप्त हि०प्र० फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	321.00	321.00	06/2011	03/2018	85.00	15.00	-	-	8.20	2.37	5.00	1.18	-
a.	Total (1-6)	2689.15	3094.47					834.18	461.66	391.70	398.34	385.35	299.63	326.29
एशिय	न विकास बैंक सहायता प्राप्त विद्युत परि	योजनाएं												
1	सावड़ा कुडडू (111MW)	728.00	1181.91	11/2008				431.26	148.53		226.72		133.08	171.11
2	(एकीकृत काशंग (Stage-I) HEP (65 MW) (Stage- II & III) HEP (130 MW)	1939.00	1939.00	11/2008	03/2014			300.41	58.15		159.52		129.03	113.08
3	ਲੈਂਗ (100 MW)	765.00	802.96	01/2011	06/2016	53:17	30.00	139.90	0.00	370.00*	128.74	272.60	43.77	57.66
4	शांगटांग कड़छम (450 MW)	2750.00	2750.00	Loan yet to be signed	-	_		32.48	0.00		34.17		-	-
5	केपेसिटी डवैलपर्मेंट	45.00	45.00	-	-	100.00	0.00	-	0.00		-		-	-
b.	कुल – विद्युत परियोजनाएं (1-5)	6227.00	6718.87					904.05	206.68	370.00	549.15	272.60	305.88	341.85
	कुल योग (a + b)	8916.15	9813.34					1738.23	668.34	761.70	947.49	657.95	605.51	668.14

^{*} ADB share only.

बाह्य सहायता परियोजनाएं जो पाईपलाईन में है ।

क0 सं0	परियोजना का नाम	विभाग का नाम	डोनर एजैंसी का	कुल अनुमानित	टिप्पणीयाँ
			नाम	लागत ([₹] करोड़ों में)	
1.	2.	3.	4.	5∙	6.
1.	पर्यावरणीय सत्त जीविका हेतु विकास योजना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विश्व बैंक	900.00	पाईपलाईन में है ।
2.	हि०प्र० में शहरी विकास के लिए इनवेस्टमेंट जान (अधोसंरचना अन्तर को समाप्त करने के लिए तकनीकी सहायता) ।	विकास विभाग	एशियन डवैलपमेंट बैंक	675.00- 900.00	पाईपलाईन में है ।
3.	पब्बर नदी से शिमला शहर के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु ग्रेवेटी परियोजना ।	एवं जन स्वास्थ्य विभाग	विश्व बैंक	1417.00	पाईपलाईन में है ।
4.	अधोसंरचना विकास के अन्तर्गत ग्रामीण आजीविका बढ़ौतरी के लिए परियोजना प्रबन्धन के सामर्थ्य विकास के लिए तकनीकी सहायता ।	एवं नागरिक उडडयन विभाग	एशियन डवैलपमेंट बैंक	5.40	पाईपलाईन में है ।
5.	सुन्नी के समीप सतलुज नदी पर कोल डैम जलाशय से शिमला शहर के लिए उठाउ पेयजल योजना ।	एवं जन	विश्व बैंक	324.00	पाईपलाईन में है ।
6.	हिमाचल प्रदेश पारिस्थितिक व पारि-सेवा (Eco- Systems and Eco- Services) प्रबन्धन एवं विकास परियोजना (जी० आई० जैड०)	वन विभाग	जी 0 आई 0 जैड 0	500.00	पाईपलाईन में है ।

VIII. नावार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभागः

- 2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर० आई० डी० एफ० के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है । कुछेक मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाऐं अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :-
 - 1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण ।
 - 2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
 - 3. बाढ नियन्त्रण कार्यो का निर्माण ।
 - 4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।
 - 5. प्राथमिक पाटशालाओं के भवन का निर्माण ''सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना''
 - 6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।
 - 7. ई-अभिशासन (E-Governance) ।
 - वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।
 - 9. जल प्रवाह विकास योजना ।
 - १०. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ।
 - Precision Farming पद्धित अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई) ।
 - 12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना ।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31-03-2012 तक प्रदेश सरकार को ₹ 3464.80 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है । जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(₹ करोइ में)

ट्रांच विवरण	कार्यक्रम की अवधि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड ऋण सहायता	राज्य अंशदान	कुल स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 ਦੇ 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 ਦੇ 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 ਦੇ 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03 ਦੇ 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 ਦੇ 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 ਦੇ 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 ਦੇ 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 ਦੇ 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 ਦੇ 2010-11	359	256.09	32.55	288.64
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 ਦੇ 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ-XV	2009-10 ਦੇ 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
आर.आई.डी.एफ-XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ-XVII	2011-12 से 2014-15 (31-03-2012 तक)	225	423.71	41.81	465.52
	कुल योगः (I से XVI)	4634	3464.80	331.31	3796.11

4. दिनांक 31-03-2012 तक उपरोक्त स्वीकृत राशि की तुलना में प्रदेश सरकार ने ₹ 2309.45 करोड़ की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है जिसका विवरण निम्न तालिका में है :-

(₹ करोड़ में)

कार्यकम	स्वीकृत ऋण राशि	प्राप्त	प्रतिशतता		
		1995-96 ਦੇ 2009-10	2010-11 (31-03-2011 ਰक)	कुल	
1	2	3	4	5	6
आर.आई.डी.एफ -I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
आर.आई.डी.एफ -II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
आर.आई.डी.एफ -III	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
आर.आई.डी.एफ -IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
आर.आई.डी.एफ -V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
आर.आई.डी.एफ -VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
आर.आई.डी.एफ-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
आर.आई.डी.एफ-VIII	169.29	154.00	0.00	154.00	90.97
आर.आई.डी.एफ -IX	141.70	111.59	0.00	111.59	78.75
आर.आई.डी.एफ -X	91.64	78.82	0.00	78.82	86.01
आर.आई.डी.एफ -XI	224.67	194.16	15.59	209.75	93.36
आर.आई.डी.एफ-XII	272.30	202.55	24.52	227.07	83.39
आर.आई.डी.एफ-XIII	256.09	158.91	21.80	180.71	70.56
आर.आई.डी.एफ-XIV	424.82	220.50	47.70	268.20	63.13
आर.आई.डी.एफ-XV	454.13	170.28	43.42	213.70	47.06
आर.आई.डी.एफ-XVI	394.53	112.24	32.30	144.54	36.64
आर.आई.डी.एफ-XVII	423.71	0.00	114.67	114.67	27.06
(31.03.12 तक)					
कुल	3464.80	2009.45	300.00	2309.45	66.65

^{*} वितरित ऋण राशि, स्वीकृत ऋण राशि से इसलिए अधिक है क्योंकि पूर्व में जारी अग्रिम को भविष्य में आहरण की गई राशि में समायोजित नहीं किया गया है ।

5. वर्ष १९९५-९६ से २०११-१२ तक वर्षवार आर०आई०डी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का ब्यौरा :

वर्ष	प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ
	(₹ करोड़ में)
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.91
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	300.00
2011-12	300.00

6. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (२००६-०७ से २०१०-१२) :

(₹ करोड़ में)

कुम	वर्ष / ट्रांच	ऋण स्वीकृत लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशतता
संख्या				
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (560.00-नाबार्ड)	412.90	103.22
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (540.00-नाबार्ड)	423.71	105.93

7. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को चुनने, अनुमोदन तथा समीक्षा किए जाने हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है । 8. वित्तीय वर्ष २०११-१२ के दौरान आर०आई०डी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :-

कुम	बैठक का नाम	बैठक की तिथि	बैठक की अध्यक्षता
संख्या		एवं स्थान	
1.	2.	3.	4.
1.	आर०आई०डी०एफ० की ३७वीं उच्च स्तरीय बैठक	7-5-2011 शिमला-2	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2.	आर०आई०डी०एफ० की 3८वीं उच्च स्तरीय बैठक	7-10-2011 शिमला-2	प्रधान सचिव, (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3.	आर०आई०डी०एफ० की समीक्षा बैठक ।	29-1 1-20 1 1 क्षेत्रीय कार्यालय (नाबार्ड),शिमला-9	मुख्य महा-प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय (नाबार्ड) हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त वर्णित बैठको के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है । इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबर्ड एवं योजना विभाग के अधिकारि भी भाग लेते हैं । मासिक समीक्षा बैठकों में नाबार्ड क्रिण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं । इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है ।

IX. 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभागः

न<u>या बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006</u>

वर्ष 2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा प्रगति प्रतिवेदन हेतू योजना विभाग को Nodal विभाग घोषित किया गया है । वर्ष 2010-11 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के श्रेणी क्रम में प्रदेश की सभी 16 मदों पर उपलब्धि बहुत अच्छी रही ।

- 2. योजना विभाग द्वारा सत्त समीक्षा के परिणामस्वरूप इस प्रदेश का बीस सूत्रीय कार्यक्रम के निष्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। उक्त कार्यक्रम की समीक्षा समय-समय पर मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। साथ ही सी.ओ.एस. की बैठक में भी 20-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। वर्ष 2012-13 में दिनांक 27 जुलाई, 2011, 14 सितम्बर,2011 तथा 21 जनवरी, 2012 को समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।
- 3. बीस सूत्रीय कार्यकृम के निष्पादन में विभिन्न ज़िलों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 से अन्तर ज़िला श्रेणी विश्लेषण शुरू किया है । तीन उच्च निष्पादन वाले ज़िलों के लिये ₹ 1.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है । प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर उत्कृष्ठ निष्पादन वाले ज़िलों को कृमशः ₹ 50 लाख, ₹ 30 लाख तथा ₹ 20 लाख का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2011-12 में अन्तर ज़िला विश्लेषण में कांगड़ा तथा शिमला जिलों ने प्रथम स्थान तथा हमीरपुर, सिरमौर, उना तथा सोलन जिलों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है ।

इन जिलों में एक करोड़ रू० की प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार से बांटी गई :-

(लाख ₹ में)

कम संख्या	जिले का नाम	राशि
1.	कांगड़ा	25.00
2.	शिमला	25.00
3.	हमीरपुर	12.50
4.	सिरमौर	12.50
5.	उना	12.50
6.	सोलन	12.50

- 4. वर्ष 01.04.2011 से 31.03.2012 में राज्य के श्रेणीकरण में प्रदेश की सभी 16 मदों पर उपलब्धि बहुत अच्छी रही ।
- 5. बीस सूत्रीय कार्यक्रम २००६ के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य योजना विभाग की वैवसाईट (<u>www.hpplanning.nic.in</u>) में डाले गए हैं । मासिक अनुश्रवण वाली मदों के लिए सभी विभागों के सभी प्रतिवेदन मदों का चयन किया गया है तथा उन्हें योजना विभाग की वैबसाईट पर डाला गया है ।

X. रेलवे प्रभागः

वर्ष 2011-12 के दौरान रेलवे प्रभाग ने हिमाचल में रेल विस्तार के लिये निम्न कार्यवाही की :

1. नंगल तलवाड़ा ब्रॉडबेज़ रेल लाईन :

- क. नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन की लम्बाई हिमाचल प्रदेश में 56 कि.मी. है । वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत चूरडू टकराला से अम्ब-अन्दीरा तक रेल लाईन बिछा दी गई है तथा इस सैक्शन को रेल यातायात के लिये खोल दिया गया है ।
- ख. अम्ब अन्दौरा से दौलतपुर चौंक सैक्शन के लिये भू-अधिग्रहण अधिनियम-१८९४ की धारा-४, ६ एवं ७ के अन्तर्गत १८ गाँवों की अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं ।
- ग. राज्य सरकार द्वारा 18 गाँवों के अवार्ड को वितरित करने के लिये अनुमति प्रदान कर दी गई है ।
- घ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियम 101 के अन्तर्गत दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को रेलवे बजट में की गई कटौती को रिस्टोर करने हेतु प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को भेजा गया है।

2. भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज़ रेल लाईन :

- क. भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडबेज़ रेल लाईन की लम्बाई 63 कि.मी. है । इस रेल लाईन की प्रथम 20 कि.मी. की लम्बाई में 25 गाँव आते हैं जिसमें से 14 गाँव पंजाब में और 11 गाँव जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं ।
- ख. भू-अधिग्रहण अधिनियम-१८९४ की धारा-४, ६ एवं ७ के अन्तर्गत प्रथम २० कि.मी. में आने वाले २५ गाँवों की अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं ।

- ग. रेलवे द्वारा इस रेल लाईन का geological सर्वे करवाया जा रहा है जिसके लिए GSI के साथ MOU हस्ताक्षरित हो चुका है । रेल मन्त्रालय द्वारा इस रेल लाईन के भू-अधिग्रहण कार्य पर geological सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक रोक लगा दी गई है ।
- घ. इस विषय पर प्रदेश सरकार द्वारा रेल मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है कि geological सर्वे का कार्य शीघ्र समाप्त करें और पूंजीगत कार्यों को भी जारी रखे। अभी तक केन्द्र सरकार से इस विषय पर कोई भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3. बिलासपुर-लेह-लद्दाख वाया मण्डी-मनाली रेल लाईनः

- क. प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय से इस परियोजना को वर्ष 2010-11 में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, भानुपल्ली -बिलासपुर बेरी ब्रॉडगेज़ रेल लाईन को लेह-लद्दाख तक विस्तार करने के लिये आग्रह किया है ताकि सीमा क्षेत्रों तक रक्षा सम्बन्धी उपकरण एवं मशीनरी समय पर ले जाई जा सके और साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढावा मिल सके।
- ख. रेलवे मन्त्रालय द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिलासपुर से लेह-लददाख रेलवे लाईन (४९८ कि०मी०) की अनुमानित लागत ₹ २२८३१करोड़ दर्शाई गई है।

4. पठानकोट-जोगिन्द्रनगर नैरोगेज़ रेल लाईन को ब्रॉडगेज़ रेल लाईन में परिवर्तित करने बारे तथा इसका विस्तार वाया मण्डी लेह-लद्दाख तक करने के सम्बन्ध में :

- क. राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय से पठानकोट-जोगिन्द्रनगर नैरोगेज़ रेल लाईन को ब्रॉडगेज़ रेल लाईन में परिवर्तित करने बारे तथा इसका विस्तार वाया मण्डी लेह-लद्दाख तक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है क्योंकि यह रेलवे लाईन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एवं भारत चीन सीमा में लेह-लद्दाख क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिये बिना किसी रूकावट के तथा समय पर राशन, उपकरण, इत्यादि पहुंचाने में यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगी ।
- ख. रेलवे बोर्ड ने सूचित किया है कि इस रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है तथा सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन रेलवे मन्त्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- ग. पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेल लाईन को नैरोगेज से ब्रॉडगेज़ में परिवर्तित करने का रेल मन्त्रालय ने प्राक्कलन बनाया है। इस 181 कि0मी0 लम्बी रेल लाईन की गेज को बदलने पर ₹ 2888 करोड़ लागत diesel traction तथा ₹ 3280 करोड़ electric traction के अनुसार आंकी गई है ।
- घ. रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस रेल लाईन को ब्रॉडगेज़ में बदलने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाए तथा निर्माण लागत का 33 प्रतिशत भाग प्रदेश सरकार वहन करे। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय केन्द्रीय रक्षा मन्त्री तथा माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग के स्तर पर प्रदेश भागीदारी का मामला उठाया है।

5. बद्दी-कालका रेल लाईन :

राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय से इस रेलवे लाईन का सर्वे करने का मामला उठाया है तथा अनुरोध किया है कि इस रेलवे लाईन का सर्वे बद्दी बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित एवं आर्ने वाले उद्योगों, शैक्षणिक हब और कमर्शियल कम्पलैक्स होने के कारण शीघ्र पूरा किया जाये ।

6. घनौली-देहरादून वाया नालागढ़ जगाधरी-सूरजपुर-कालाअम्ब- पांवटा साहिब रेल लाईनः

रेल मंत्रालय ने अपने रेलवे बजट 2010-11 में नई रेलवे लाईन सर्वे के अन्तर्गत इस रेल लाईन को शामिल किया है । राज्य सरकार के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने इस रेल लाईन तथा अन्य पांच नई प्रस्तावित रेल लाईनों के सर्वे हेतु आधारभूत सूचना मांगी है, जो कि राज्य सरकार द्वारा उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली को भेज दी गई है ।

XI. मूल्यांकन प्रभागः

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है । मूल्यांकन का उददेश्य कार्यान्वयन प्रिकृया को जांचना है तािक स्कीमों और कार्यक्मों के कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों व किमयों का पता लग सके और इन तथ्यों पर आधारित कार्यान्वयन प्रिकृया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय/सुझाव दिए जा सके । विभिन्न कार्यान्वयन एजैंन्सियों से प्राप्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए वित्तायुक्त एवं सिचव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार सिमित का गठन राज्य स्तर पर किया गया है ।

वर्तमान में मूल्यांकन प्रभाग को निम्न मूल्यांकन अध्ययनों का कार्य सौंपा गया है जो निम्न प्रकार से विभिन्न चरणों में है:-

1. विकेन्दीकृत नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित अध्यययन :-

यह अध्ययन वर्ष 2004 में शुरू किया गया था और इनके प्रपत्र जिला योजना अधिकारी कार्यालयों में सूचना एकत्र करने के लिए भेजे गये थे । भरे हुए प्रपत्र जो वापिस प्राप्त हुए थे उनकी जांच के उपरान्त यह पाया गया कि प्रपत्रों में बहुत किमयां व अनियमितताएं थीं । इन किमयों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए इन प्रपत्रों को दोबारा जिला कार्यालयों को भेजा गया । इस प्रकिया का संचालन योजना विभाग के मुख्यालय द्वारा किया गया । पूर्ण सूचना प्राप्त होने के उपरान्त आंकड़ों का समेकन तथा विशलेषण किया गया और प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई ।

2. जल प्रवाह विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन :-

यह मूल्यांकन अध्ययन वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया था । जो भरे हुए प्रपत्र योजना विभाग में प्राप्त हुए उनमें कई तरह की किमयां पाई गई । जो प्रपत्र बनाये गये थे उनमें जल प्रवाह विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित कुछ पहलू शामिल नहीं हो पाये थे । इस परिपेक्षय में तकनीकी सलाहकार सिमित की बैठक 12 दिसम्बर, 2011 को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर प्रपत्रों को पुनः बनाकर फिर से अध्ययन किया जायेगा । पुनः अध्यययन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर प्रपत्र बनाये गये और क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य फरवरी 2012 में शुरू किया गया ।

3. हिमाचल प्रदेश के मन्दिर न्यासों में खातों के कम्पयूटरीकरण बारे सर्वेक्षण :-

यह अध्ययन वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था । इस अध्ययन का उद्देश्य मन्दिर न्यासों पर अकाउंटिंग सिस्टम के कम्पयूटरीकृत प्रबन्धन का आकलन करना था जिसके लिए सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग ने हार्डवेयर और सॉफटवेयर प्रदान किये थे । रिपोर्ट मार्च 2012 में लिखी गई ।

4. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों का सर्वेक्षण :-

पंजीकृत व्यक्तियों का सर्वेक्षण केवल शिमला में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में किया गया था । रिपोर्ट लिखने के बाद सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गई थी । सरकार ने अध्ययन का दायरा बढ़ाने के लिए कांगड़ा, मण्डी और सोलन जिलों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया । पंजीकृत व्यक्तियों को डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजी गई थी । फरवरी 2012 के अन्त तक 938 प्रश्नावलियां भरकर प्राप्त हुई हैं । प्रश्नावलियों में प्राप्त हुई सूचना का संकलन कार्य शुरू कर दिया गया है । इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को जानना है ।

राष्ट्रीय सम विकास योजना से सम्बन्धित मूल्यांकन अध्ययन :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, ने यह निर्णय लिया है कि योजना विभाग हिमाचल प्रदेश के सिरमीर तथा चम्बा जिलों में कार्यान्वित की गई राष्ट्रीय सम विकास योजना का अध्ययन करेगा । मूल्यांकन प्रभाग में स्टाफ सीमित होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि इस अध्ययन को किसी बाहरी संस्था से करवाया जाये । कार्यक्रम के उन पहलुओं के प्रभाव को देखा जायेगा जिसमें इस अध्ययन के उद्देश्य प्राप्त होने हैं । इस अध्ययन को बाहरी एजैन्सियों द्वारा करवाने के लिए निविदायें आमन्त्रित की गई हैं ।

XII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभागः

प्रभाग को वार्षिक योजना के लिए विधायकों द्वारा चिन्हांकित की जाने वाली योजनाओं की बैठकें करवाने का दायित्व सौंपा गया है । विधायकों द्वारा, सड़क एवं पुल, लद्यु सिंचाई एवं ग्रामीण पेय जल योजनाओं के अन्तर्गत दो- दो नई योजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं । इन योजनाओं का संकलन प्रभाग द्वारा किया जाता है । संकलित दस्तावेज ''नव व्यय अनुसूची के परिशिष्टि (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं'' के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा यह प्रकाशन प्रदेश के वार्षिक योजना बजट का भाग होता है । आयोजित बैठक की अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट भी संकलित की जाती है जिसमें माननीय विधायकों द्वारा बैठक में उठाए गए मुद्दों पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत उल्लेख होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में माननीय विधायकों की स्कीमों की मध्याविध समीक्षा का आयोजन पहली बार २० व २१ सितम्बर, २०११ को किया गया । इन बैठकों में दिनांक २७ व २८ जनवरी, २०११ को आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्ष 2011-12 में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में 13 तथा 14 फरवरी, 2012 को वर्ष 2012-13 के योजना बजट में सड़क एवं पूल, पेयजल तथा लघू सिंचाई की स्कीमों के समावेश हेतू विधायकों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये माननीय विधायकों के साथ बैठकें आयोजित की गई जिसमें माननीय विधायकों द्वारा २० व २१ सितम्बर, २०११ को आयोजित मध्याविध समीक्षा बैठक के दौरान उठाये गये मुद्दों की अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। बैठक में माननीय विधायकों ने अपने-2 निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं पर भी प्रकाश डाला तथा मितव्ययता, वित्त संसाधन जुटाने, बेहतर प्रशासन, आदि विषयों पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । माननीय विधायकों द्वारा इन बैठकों में अपने क्षेत्र की प्राथमिकताये भी प्रस्तुत की गई, जिनका संकलन करके इसे वार्षिक योजना २०१२-१३ के बजट में शामिल किया गया।

XIII. कम्पयूटर प्रभागः

कम्पयूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्पयूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टे पहले कम्पयूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की साफटवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न साफटवेयर को विकसित किया है :-

- 1. 2011-12 के लिए जी०एन० सोफटवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
- 2. योजना बजट पर सोफटवेयर ।
- 3. आर.आई.डी.एफ. का सोफटवेयर / सुधार ।
- 4. माननीय विधायकों की प्राथमिकता की स्कीमों के सोफटवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
- 5. मूल्यांकन अध्ययन में frequency tables तैयार करने हेतु सोफटवेयर तैयार करना ।
- 6. वार्षिक योजना (2011-12) के दस्तावेज का कार्य ।
- 7. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों व अतिरिक्त मंहगाई भत्तों को तैयार करने सम्बन्धी सोफटवेयर तैयार करना ।
- 8. माननीय विधायकों की स्कीमों को सोफटवेयर के द्वारा Data Entry.
- 9. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एंव एस०ओ०ई०-वार आंवटन ।
- 10. विभिन्न कार्याकमों / स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्टस ।
- 11. आयकर विवरणिकाओं को तैयार करने में सहायता ।
- 12. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्पयूटरीकरण करने तथा वर्ष 2011-12 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथिमकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार करने में सहायता ।
- 13. Fact Book on Manpower तथा Quick Estimates 2011-12के दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता ।
- 14. विभाग की विभिन्न बैठकों के लिए Power Point Presentation.
- 15. 20-सूत्रीय कार्यक्रम त्रैमासिक रिपोर्टस ।
- 16. विभाग की Web site की maintenance/updation.
- 17. विभाग के सभी प्रभागों को वर्ष के दौरान कम्पयूटरीकरण से सम्बन्धित सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई ।
- १८. आर.एफ.डी.सोफटवेयर ।
- १९. ई-डिसपैच कार्य ।
- 20. संसद सदस्यों के सोफटवेयर ।
- २१. विकेन्द्रीकृत योजनाओं का सोफटवेयर ।

3.3. जिला कार्यालयः

प्रदेश के सभी 10 गैर-जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुकत/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है । जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं । जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

- 1. जिला योजना अधिकारी
- 2. साख योजना अधिकारी
- 3. सहायक अनुसंधान अधिकारी
- 4. सांख्यिकीय सहायक
- 5. वरिष्ठ सहायक (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में दो पद)
- 6. आशुरंकक
- 7. लिपिक
- ८. चपडासी

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

सूचना का अधिकार नियम, २००५ उप-नियम ४(१) (बी) के अन्तर्गत सूचनाः

(i)	विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य	कृपया मद् 'पृष्ठभूमि एवं परिचय' तथा 'संगठनात्मक ढांचा' का अवलोकन करें ।
(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं डियूटी।	सलाहकार (योजना) विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण । सलाहकार (योजना) कार्य निष्पादन में प्रधान सचिव (योजना) हि०प्र० सरकार की सहायता करते हैं तथा प्रधान सचिव (योजना) हि०प्र० सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं । संयुक्त निदेशक (योजना)
		एक फरवरी, 2010 से संयुक्त निदेशक की पदोन्नित सलाहकार (योजना) के पद पर होने के कारण संयुक्त निदेशक का पद रिक्त पड़ा है । उप-निदेशक (योजना)
		सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, परियोजना प्रारूपण, नौराइ, मूल्यांकन, जन-शक्ति एवं रोजगार, कम्पयूटरीकरण, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, आर.एफ.डी., इत्यादि के नियन्त्रक
		हैं । समस्त उप-निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं । अनुसंधान अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं । सभी निरतयां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को
		सहायता करत है । सभा नास्तया उनक माध्यम स उप-ानदशका का भेजी जाती है । जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मद्-3.3. "जिला कार्यालय" में किया गया है । सहायक अनुसंधान अधिकारी
		विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं । सांख्यिकीय सहायक
		विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं । गणक
		विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं । कार्यक्रम योजना अधिकारी
		कार्यक्रम योजना अधिकारी कम्पयूटर कक्ष के प्रभारी हैं । वह योजना विभाग के कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करना, इत्यादि में सहायता करते हैं । गणक संचालक
		विभाग में कम्पयूटीरकरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं । अधीक्षक ग्रेड-।। अधीक्षक वर्ग-।। योजना विभाग के प्रशासन कक्ष में प्रशासनिक कार्यो

		के पर्यवेक्षण हेतु कार्यरत है । प्रशासन प्रभाग के सभी सम्बन्धित सहायक अपनी निरत्यां अधीक्षक वर्ग-।। के माध्यम से, आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं उप-निदेशक (प्रशासन)/कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से विभागाध्यक्ष को अन्तिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करते हैं । विरेष्ठ सहायक/ किन्छ सहायक विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को उच्च अधिकारियों के स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं । तिपिक यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा आहरण एवं विरतण अधिकारी / अधीक्षक वर्ग-।। द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं । निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/किनष्ठ आशुलिपिक ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किरम की निरत्त्यों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं । आशुटंकक जिला योजना अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने / इत्यादि काार्यों के लिए कार्यरत हैं । जिला योजना अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी प्रकार के कार्य करते हैं । प्रतिलिप यन्त्र चालक विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं । चपड़ासी विभाग की डाक, निस्तयों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं । चौकीदार विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखता है ।
		सफाई कर्मचारी विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं ।
(iii)	प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम	सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शिक्तयां निहित हैं । विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं । विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विभाग की निस्तयां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है ।
(iv)	कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड	विभाग के भिन्न-२ कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-२ पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।

(v)	नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं ।	विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों-विनियमों, निर्देशों नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:- 1. सी.सी.एस. लीव रूलज,1972 2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.एस रूलज 3. एच.पी.एफ.आर रूलज 4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज 5. मैडिकल एटैन्डेंस सुविधा नियम 6. गृह निर्माण अग्निम रूलज 7. यात्रा अवकाश रूलज 8. बजट मैनुअल 9. आफिस मैनुअल 10. पैंशन नियम 11. सामान्य भविष्य निधि नियम 12. विकेन्द्रकृत नियोजन दिशा निर्देश 13. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम दिशा निर्देश 14. क्षेत्रीय विकास निधि योजना दिशा निर्देश 15. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना दिशा निर्देश 16. सासद निधि योजना दिशा निर्देश 17. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना दिशा निर्देश 18. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना दिशा निर्देश 19. ग्रामीण संरचना विकास निधि दिशा निर्देश 20. जिला इनोवेटिव निधि (District Innovative Fund) निर्देश
(vi)	दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों।	पंच-वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच-वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची, जिलावार त्रैमासिक २०-सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन रिपोर्ट एवं विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।
(vii)	या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध	विभाग की विभिन्न समितियों में जन-प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । गैर-सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति-निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन-प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार-विमर्श किया जाता है । उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति-निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।

(viii)	बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां	विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गटन किया गया है:-
	एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो।	 हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड । राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तरीय योजना विकास एवं २०-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा सिमितियां । इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं ।
(ix)	विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका ।	कृपया मद्- ' 2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' का अवलोकन करें ।
(x)	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली ।	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं । विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वेतन एवं भत्तों का विवरण कृपया मद् '2.योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' पर दिया गया है ।
(xi)	आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपोर्ट जो बनती हैं ।	योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है । प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है ।
(xii)		विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जताा है ।
(xiii)	रियायतों के पात्रों का विवरण ।	c.
(xiv)	इलैक्ट्रानिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे ।	विभाग की वैवसाईट बनाई गई है । विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैवसाईट www.hp_planning.nic.in पर उपलब्ध है।

(xv)		विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है ।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के पद-नाम एवं विवरण।	सूचना नीचे अलग से दी गई है ।
(xvii)	ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो ।	लागू नहीं है ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण ।

कुम सं0	(जैसे कि सहायक लोक सूबना अधिकारियों, लोक सूबना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है	
1.	2.	3.	4.	5.	
<u>(</u> क)			() 00:	6	
1.	लोक सूचना अधिकारी	(अवर / उप / संयुक्त सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2628486	योजना विभाग ।	
2.	अपील प्राधिकारी	सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2.	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग ।	
अधि			दिनांक 27-06-200 के सैक्शन 5 एवं 9	9 सूचना का अधिकार, के अन्तर्गत ।	
1.	लोक सूचना अधिकारी	उप निदेशक (प्रशासन)	आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2627834	राज्य स्तर पर योजना विभाग ।	
2.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अनुसन्धान अधिकारी (आहरण एवं वितरण अधिकारी)	आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2620977	राज्य स्तर पर योजना विभाग ।	
3.	अपील प्राधिकारी	सलाहकार (योजना)	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. २६२१६९८	राज्य स्तर पर योजना विभाग ।	
	अधिसूचना संख्याः पीएलजी.ए (३) ४/२००५ दिनांक २२-१२-२००५ सूचना का अधिकार, अधिनियम २००५ के सैक्शन ५ एवं ९ के अन्तर्गत ।				

कम सं0	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	प्ता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है	
1.	2.	3.	4.	5.	
(ग)	जिला स्तर पर				
1.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय शिमला दूरभाष नं.0177-2808399	सम्बन्धित जिला	
2.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय सोलन दूरभाष नं.01792- 220697	सम्बन्धित जिला	
3.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर स्थित नाहन दूरभाष नं.01702-223008	सम्बन्धित जिला	
4.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय ऊना दूरभाष नं.01975-226057	सम्बन्धित जिला	
5.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला दूरभाष नं 01892-223316	सम्बन्धित जिला	
6.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय मण्डी दूरभाष नं.01905-225212	सम्बन्धित जिला	
7.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय चम्बा दूरभाष नं.01899-226166		
8.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर दूरभाष नं.01978-222668	सम्बन्धित जिला	
9.	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कुल्लू दूरभाष नं.01902-222873		
10	लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर दूरभाष नं. 01972-222702	सम्बन्धित जिला	
अधि अधि	अधिसूचना संख्याः पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				



ANNUAL GENERAL ADMINISTRATIVE REPORT 2011-2012

Planning Department Government of Himachal Pradesh Shimla-171002

CONTENTS

Sr.	Subject	Page
No.		No.
1.	BACKGROUND AND INTRODUCTION	1
2.	STAFF POSITION – PLANNING DEPARTMENT	1
3.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	2
3.1.	STATE PLANNING BOARD	2-3
3.2.	HEADQUARTERS	4
	(I) Administration Division	4
	(II) Plan Formulation Division	5-6
	(III) Plan Implementation Division	6-8
	(IV) Backward Area Sub Plan (BASP) Division	8-10
	(V) Regional & District Planning Division	10-12
	(VI) Manpower and Employment Division	12-13
	(VII) Externally Aided Project (EAP) Division	13-16
	(VIII) NABARD – RIDF Division	17-21
	(IX) New 20-Point Programme-2006 Division	21-22
	(X) Railway Division	22-23
	(XI) Evaluation Division	23-24
	(XII) MLA Priority Division	25
	(XIII) Computerization Division	25
3.3.	DISTRICT OFFICES	26
4.	INFORMATION OF RTI ACT-2005	27-33

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, RIDF, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, works related to construction of rail lines and allied works in HP, etc.

2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

Sr. No.	Category	Sanctioned Posts	Filled- up	Vacant	Pay Band (In Rs.)	Grade Pay (In ₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	-	1	*	*
2.	Dy. Chairman (20 Point Programme)	1	-	1	*	*
3.	Adviser (Planning)	1	1	-	37400 – 67000	8800
4.	Joint Director	1	-	1	15600 – 39100	7600
5.	Deputy Directors	5	5	-	15600 – 39100	6600
6.	Research Officers / District Planning Officers	20	16	4	10300 - 34800	5400
7.	Credit Planning Officers	10	10	-	10300 - 34800	5000
8	Assistant Research Officer	17	17	-	10300 – 34800	4200
9.	Statistical Assistant	20	15	5	10300 – 34800	3800
10.	Computer	6	5	1	5910 – 20200	1900
11.	Programme Planning Officer	1	1	-	10300 – 34800	4200
12.	Computer Operators	2	2	-	10300 – 34800	3600
13.	Private Secretary	1	-	1	10300 – 34800	5000
14.	Personal Assistant	2	1	1	10300 – 34800	4200
15.	Senior Scale Stenographer	1	1	-	10300 – 34800	3800
16.	Junior Scale Stenos	6	6	-	5910 – 20200	2800
17.	Steno-Typists	12	2	10	5910 – 20200	2000
18.	Superintendent	1	1	-	10300 - 34800	4200
19.	Senior Assistant	20	20	-	10300 – 34800	3800
20.	Junior Assistant	13	13	-	5910 – 20200	2800
21.	Clerk	3	2	1	5910 – 20200	1900
22.	DMO	1	1	-	4900 – 10680	1650
23.	Driver	3	3	-	5910 – 20200	2400
24.	Peons	20	20	-	4900 – 10680	1300
25.	Chowkidar	1	1	-	4900 – 10680	1300
26.	Frash	1	1	-	4900 – 10680	1300
27.	Jamadar	1	1	-	4900 – 10680	1300
28.	Sweeper	1	1	-	4900 – 10680	1300
* •	TOTAL Pay and allowances of Deputy Chair	172	146	26		

^{*:} Pay and allowances of Deputy Chairman, State Planning Board and Deputy Chairman, Twenty Point Programme are decided by the State Government at the time of their nomination.

3. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

- 3.1. State Planning Board.
- 3.2. Headquarters.
- 3.3. District Offices.

3.1. STATE PLANNING BOARD:

State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members on 26^{th} August, 2009.

I. Composition:

(i) Chairman: Chief Minister

(ii) Non-official Members:

- 1. All Cabinet Ministers
- 2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha) (Notified separately)
- 3. One Representative each of Farmers, Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women (Notified separately)
- 4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs (Notified separately)
- 5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments (Notified separately)

(iii) Official Members:

- 1. Chief Secretary,
- 2. All Administrative Secretaries
- 3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

(iv) Ex-officio Members:

- 1. President, H.P. Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
- 2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh
- (v) Member Secretary: Adviser (Planning)
- **II. Terms of Appointment :** As may be prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the five year plans and annual plans and evolve a short term strategy (Five Year Plan) for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.
- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.
- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the
 extent to which some of the identified on-going programmes of projects would need
 to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyse information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to over come them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

A meeting of the State Planning Board was organized on 23rd February, 2012 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister. State Annual Plan size amounting to ₹ 3700.00 crore for the year 2012-13 was discussed and approved in the meeting. The Planning Commission, Government of India has also approved the Plan size recommended by the State Planning Board amounting to ₹ 3700.00 crore for the year 2012-13.

3.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

	1.	Minister – Incharge	Chief Minister, HP.
ſ	2.	Administrative Secretary	Pr. Secretary (Planning) to the GoHP.
ſ	3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation, Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning, Backward Area Sub-Plan, Railways and Twenty Point Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. A Joint Director / Deputy Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. are given below:-

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Deputy Director functioned as Head of Office. The Administration Division functions under the control of Deputy Director (Administration). Following staff has been provided in this division:-

Total		14
(h) Frash	-	1
(g) Chowkidar	-	1
(f) Peon	-	1
(e) Clerk	-	2
(d) Junior Assistant	-	3
(c) Senior Assistant	-	4
(b) Superintendent	-	1
(a) Drawing and Disbursing Officer	-	1

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. The division plays a vital role in the department. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

The brief resume of the work done during the year 2011-12:-

1. Preparation of State's Draft Annual Plan Document for the Year 2012 -13:

- ♦ The guidelines for preparation of detailed Annual Plan document for the year 2012-13 were issued to all concerned departments/agencies requesting them to send detailed Annual Plan proposals.
- ♦ On scrutiny of departmental proposals and analysis of data collected from various institutions, a draft annual plan document for the year 2012-2013 was prepared and submitted to the Planning Commission, Govt. of India for meetings of Working Groups as also for the meeting between Hon'ble Deputy Chairman, Planning Commission and Hon'ble Chief Minister, HP.
- ◆ The State Government proposed an Annual Plan size of ₹ 3700 crore for 2012-13 which has been approved by the Planning Commission. Sector—wise break up is given as under:-

(₹ in Crore)

Sr.	Sector	Annual Plan (2012-2013)
No.		Outlay
1.	2.	3.
1.	Agriculture and Allied Activities	480.30
2.	Rural Development	172.09
3.	Special Area Programme	25.00
4.	Irrigation & Flood Control	273.47
5.	Energy	581.92
6.	Industry and Minerals	36.97
7.	Transport & Communication	778.76
8.	Science, Technology & Environment	15.23
9.	General Economic Services	89.65
10.	Social Services	1189.56
11.	General Services	57.05
	Total :	3700.00

◆ The Demand / Major Head/ Sub Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head wise schematic outlays were conveyed to the Finance Department for budgeting the same in the State Budget 2012-2013.

2. State Planning Board:

A meeting of the State Planning Board was organized on 23rd February, 2012 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister. State Annual Plan size amounting to ₹ 3700.00 crore for the year 2012-13 was discussed and approved in the meeting.

3. Miscellaneous:

Planning Department coordinated with departments in connection with the Regional Level Consultation on the Approach Paper to the 12th Five Year Plan between Deputy Chairman, Planning commission-Hon'ble Chief Minister which was held on 23rd May, 2011 at New Delhi and 56th National Development Council (NDC) meeting held on 22nd October, 2011 to discuss the Approach Paper of 12th Five Year Plan.

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

- 1. This division examines proposals for diversion and reappropriation thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions / reappropriations are permitted.
- 2. Additionalities are provided from those schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.
- 3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.
- 4. During the period under report, proposals on diversions and reappropriations received from all departments in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors. The proposals were scrutinized, examined and decisions were conveyed to the concerned departments. The revised outlays were got approved from Planning Commission, Govt. of India in time. Govt. of India has approved ₹ 3300.00 crore for the Annual Plan 2011-12.
- 5. During the year under report, 249 references from different departments for obtaining advice on their departmental files were received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
- 6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget by developing software for this purpose.

1. Review of Quarterly Progress Reports/ Quarterly Review Meetings :

This division has been entrusted with the responsibility to monitor the financial and physical progress achieved under different heads of development under Plan.

Following quarter-wise norms have been fixed for incurring of plan expenditure/ ACA related schemes under various head of developments:-

(i) Plan expenditure

Sr.No.	Quarters	%age of Expenditure
1.	First Quarter	20%
2.	Second Quarter	25%
3.	Third Quarter	30%
4.	Fourth Quarter	25%
	Total	100%

(ii) ACA related Schemes

Sr.No.	Quarters	%age of Expenditure
1.	First Quarter	30%
2.	Second Quarter	35%
3.	Third Quarter	35%
4.	Fourth Quarter	-
	Total	100%

The revised proposal of outlays alongwith scheme of financing, plan expenditure of Annual Plan 2011-12 upto December, 2011 and audited expenditure for the Annual Plan 2010-11 are supplied to Finance Ministry and Planning Commission, Govt. of India to enable State Government in getting withheld Central Assistance released.

Plan Performance Review Meetings with all implementing departments were conducted during the year 2011-12 as under:-

- 1. State Level Panning, Development and Twenty Point Programme Review Meeting (Annual Plan 2010-11) held on 19th May, 2011 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
- 2. Review Meeting of Annual Plan upto first quarter ending 30th June, 2011 was held on 27th July, 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 3. Review Meeting of Annual Plan upto second quarter ending 30th September, 2011 was held on 7th December, 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. Review Meeting of Annual Plan upto third quarter ending 31st December, 2011 was held on 21st January, 2012 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Govt. of H.P.

2. Quarterly Budget Authorisation:-

A new system of Quarterly Budget Authorization has been started from the year 1999-2000. Accordingly, quarterly budget authorization for the year 2011-12 was given to all departments and quarterly progress reports on financial spending were collected from the departments for review.

3. Budget Assurances:

This Division also convenes the review meetings to monitor the progress of Implementation of Budget Assurances given during the Budget Speech. The information from nodal departments was collected, compiled and progress of implementation of Budget Assurances for the year 2011-12 was reviewed during the meetings held under the Chairpersonship of Chief Secretary periodically and necessary instructions given to the implementing departments.

4. <u>Centrally Sponsored Schemes:</u>

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress.

This Division has performed the following functions under CSS during the year 2011-12:-

- i) Advices regarding financial implications of CSS and their counterpart provision in plan were given to the implementing departments.
- ii) Liaison between Govt. of India and various H.P. Govt. departments was maintained.

5. Aide memoire/Pending issues with Government of India

Aide Memoire, renamed as 'Pending issues with Government of India' is a compilation of the important matters / issues which are pending between HP State & Central Government.

During 2011-12 a document was prepared and sent to the Hon'ble Members of Parliament and H.P. Cadre officers in Government of India. All the issues raised by the departments with Government of India are compiled in a single document alongwith photocopy of the letters under correspondence.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP) DIVISION:

State Government has evolved a concept of Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of micro-regional disparities in the level of development. During the year 1995-96, H.P. Government, in consonance with the budget speech of Hon'ble Chief Minister, framed a comprehensive policy for backward areas which is being implemented in State. The salient features of the policy are as under:-

- (a) The Backward Area Sub Plan comprises of three categories:-
 - (i) Backward Blocks: All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304 Backward Panchayats.
 - (ii) Contiguous Pockets: Group of five or more declared backward Panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward Panchayats in the State.
 - (iii) Dispersed Panchayats: Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 114 Dispersed Panchayats in the State.
 - (b) 15% outlays of earmarked funds are being allotted for Backward Areas Sub Plan (BASP) under selected 13 Heads of Development.
 - (c) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted.
 - (d) The allocation to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.
 - (e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions / re-appropriation with the approval of DPDC. Dy. Commissioners and District Planning Officers have been declared controlling and Drawing & Disbursing Officers respectively.

There are total 551 Panchayats declared as backward in the State. The single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has also been created by the State Government for separate budgetary arrangements under BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities with in the district. An outlay of ₹ 2000.00 lakh has been earmarked under BASP for the year 2011-12 under Plan and ₹ 3336.00 lakh under Non-Plan. An outlay of ₹ 2500.00 lakh is also proposed for the year 2012-13 under BASP (Plan).

Review of BASP

During the policy review in the year 2008, the Government of Himachal Prdesh decided to review the policy for implementation of Backward Area Sub Plan in the State. An exercise was undertaken to assess that how many backward panchayats in the State have come out of the backwardness on the basis of existing norms. After a detailed analysis it was found that if existing norms are applied, only 11 panchayats out of 551 backward declared panchayats qualify for being backward.

Keeping in view the changing economic and social condition of population of Himachal Pradesh, the Government of Himachal Pradesh is in the process of revising the norms for declaring panchayats as backward and this Division is coordinating it.

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2011-12 outlays, expenditure and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

(₹ In Lakh)

Sr. No.	District	Number of Backward	BASP BUDGET & EXPENDITURE 2011-12			
		declared Panchayats	Budget (Plan)	Tentative Expenditure (Plan)	Budget (Non-Plan)	Tentative Expenditure (Non-Plan)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bilaspur	15	54.00	54.00	102.00	102.00
2	Chamba	159	577.00	577.00	1079.00	1079.00
3	Hamirpur	13	47.00	47.00	88.00	88.00
4	Kangra	17	62.00	62.00	115.00	115.00
5	Kullu	79	287.00	287.00	536.00	536.00
6	Mandi	149	541.00	541.00	1010.00	1010.00
7	Shimla	83	302.00	302.00	563.00	563.00
8	Sirmour	26	94.00	94.00	176.00	176.00
9	Solan	7	25.00	25.00	47.00	47.00
10	Una	3	11.00	11.00	20.00	20.00
	TOTAL	551	2000.00	2000.00	3736.00	3736.00

All issues related to BASP such as budget allocation, monitoring/ review of sub plan and work related to AG/ CAG, Vidhan Sabha, etc. were taken up by the Backward Area Sub Plan Division during the year 2011-12.

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION:

For the implementation and monitoring of various Decentralised Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at the State level in the Planning Department. Description of the various activities of Decentralised Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure effective people's participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Govt. efforts / resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced for implementation in the year 1991-92. Under this programme, people's participation is purely on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited into Bank / Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. The schemes with an estimated cost of ₹ 10.00 lakh and below are sanctioned by the DCs and schemes estimating upto ₹ 20.00 lakh are sanctioned at the Directorate of Planning, upto ₹ 40.00 lakh by the Secretary (Planning) and above ₹ 40.00 lakh are sanctioned by the Hon'ble Chief Minister. An amount of ₹ 800.00 lakh has been allocated during the financial year 2011-12 to the DCs (Except Kinnaur and Lahaul & Sipiti districts) for the works to be sanctioned at their level. During the financial year 2012-13 an outlay of ₹ 1200.00 lakh has been kept for VMJS.

2. Sectoral Decentralised Planning (SDP):

Sectoral Decentralised Planning Programme has been started in the Pradesh during the year 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds is made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links of budget are mainly taken up for implementation. An amount of ₹ 3761.75 lakh has been allocated to the Deputy Commissioners (Except Kinnaur & Lahaul Spiti) for the year 2011-12. During the financial year 2012-13 an outlay of ₹ 2580.88 lakh has been kept for SDP.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY):

Towards strengthening of decentralisation process, the State Government has started a new scheme "Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana" from the year 1999-2000 but it was discontinued during the year 2001-2002. This scheme has been restarted during the year 2003-04 and funds of the order of ₹ 24 lakh were allocated to each MLA for the execution of developmental works in their constituencies. The implementation and monitoring of the scheme has been made more effective and intensive with the direct involvement of Hon'ble MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state irrespective of political affiliation and all elected MLAs are also getting equal treatment. During the financial year 2011-12, ₹ 1956.12 lakh has been provided by to the Non-Tribal districts at the rate of ₹ 30.00 lakh per Vidhan Sabha Constituency for execution of developmental works. Out of ₹ 30.00 lakh, ₹ 5.00 lakh will be spent on the works under norms of Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) with the recommendation of Hon'ble MLA's. During the current financial year 2012-13 an outlay of ₹ 1956.12 lakh has been kept for VKVNY.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY)

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca besides having a provision for the construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Govt. has permitted construction of jeepable/ tractorable link roads upto 2 km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this scheme was discontinued and has been restarted during the financial year 2008-09 with a budget provision of ₹ 1000.00 lakh. During the financial year 2011-12 ₹ 500.00 lakh has been provided to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts. During the financial year 2012-13 an outlay of ₹ 700.00 lakh has been kept for MMGPY.

5. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)

Member of Parliament are approached by their constituents, for small works of capital nature to be done in their constituencies. Hence, there was a demand made by MPs that they should be able to recommend works to be done in their constituencies. Considering these suggestions, the Prime Minister announced in Parliament on 23rd December,1993, the "Member of Parliament Local Area Development Scheme".

Under this Central Sector scheme, each MP will suggest works to the tune of ₹ 1.00 crore per year, from the financial year 1994-95 to be taken up in his/ her constituency. Elected Member of Rajya Sabha representing the whole of the State, may select works for implementation in one or more District (s) as they may choose. Nominated Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha may also select works for implementation in one or more Districts, anywhere in the country. The allocation per MP per year stands increased to ₹ 2.00 crore from the year 1998-1999. Now from the financial year 2011-12 the allocation per MP per year sands increased to ₹ 5.00 crore.

6. District Innovative Fund (DIF):

As recommended by the 13^{th} Finance Commission, District Innovative Fund (DIF) is being implemented in Himachal Pradesh from the year 2011-12 for the implementation of the schemes for bridging the missing links under the budget at the district level out of this fund. Under this scheme, a total allocation of ₹ 12.00 crore for 2011-2015 has been made for Himachal Pradesh.

As per the report, the criteria for the allocation of \mathfrak{F} 1.00 crore for one district over a period of 4 years. As per the recommendations of the 13th Finance Commission, this funds has to be used as 90% grant and 10% contribution from the beneficiaries who are availing this scheme. During the financial year 2011-12 an amount of \mathfrak{F} 3.00 crore has been allocated to 12 districts of the State (\mathfrak{F} 25.00 lakh per district).

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION:

The following main tasks have been assigned and performed by Manpower and Employment Division during the year 2011-12:-

i) Fact Book On Manpower:

The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodic follow-ups and revisions.

Fact Book has three parts, Part one, contains detailed information about the characteristics of population and its projected annual growth and the composition of workforce in the State. Part two, contains information relating to employment pattern in public and private sectors. It also gives an account of distribution and number of applicants on Live Registers of employment exchanges and educational status of job-seekers. Part three, gives detail account on education and training facilities in the State viz. number of institutions, teachers, employment, intake, outturn, etc. in the State. During the period under report, a new publication has been finalized for circulation.

ii) Employment Market Information Programme:

The quarterly review reports of employment generation in the Organized Sector of the economy under "Employment Market Information Programme", was started during the year 1988. The quarterly report for the year 2009-10 has been printed while the report for the year 2010-11 is being compiled.

iii) State Government Employment Plan:

An analysis of the employment situation in Himachal Pradesh was presented in the Annual Plan 2012-13 depicting employment strategy of the State, population and labour force situation and employment plan, as vital thrust of the Eleventh Plan for Himachal Pradesh is to tackle the unemployment problem.

The information on employment generation from the concerned departments on a monthly basis was collected to assess the exact position of employment generation in all the three sectors i.e. Government, Organised & Self Employment and Wage Employment. The State Government has adopted a three pronged strategy under Employment Plan to enhance the employment opportunities in above mentioned three sectors. The progress of employment generation in terms of financial and physical achievements was reviewed regularly on monthly basis.

iv) Skill Development:

Skill development has been given top priority by the State Government to enhance the skills of unemployed youths so as to increase their employability. A State Skill Development Mission has been constituted on the lines of National Skill Development Mission under the Chairmanship of Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh and the meetings were held on regular intervals. A Skill Development Action Plan is under preparation and all concerned departments have been requested to forward their proposals for incorporation in the 12th Five Year Plan (2012-17).

VII. EXTERNALLY AIDED PROJECT (EAP) DIVISION:

Externally Aided Project Division in the Planning Department has been assigned the task of project appraisal. The subject requires a multi-disciplinary and rational approach. The Division analyzers the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, etc. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAPs being implemented in the State and also keeps track of over all Additional Central Assistance(ACA) being received in respect of EAPs. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in respect of EAPs. Principal Secretary (Planning) to the Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh.

Assignments during the year 2011-12 by the division:

- (1) Review and monitoring of financial and physical progress of ongoing EAPs on quarterly basis.
- (2) Review & Monitoring of Additional Central Assistance due and received in respect of all external aided projects in relation to the expenditure claims filed and releases made by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

- (3) Advises were given to the different departments in the context of Externally Aided Project proposals.
- (4) The proposal on the Externally Aided Projects for meeting of sub groups in Planning Commission, Government of India on EAPs for Annual Plan 2012-13 was prepared.

Other assignments during the period under report:

The division had been in constant touch with the concerned departments, GoI and following external funding agencies for approval / sanction of new projects:-

- i) World Bank
- ii) Asian Development Bank
- iii) Japan International Co-operation Agency (JICA).
- iv) GIZ

The Guidelines received from these institutions and Government of India were circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in the division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters. The project proposals were returned, after analysis, to the concerned departments with the observations for alterations and modifications for posing the projects to the funding agencies through the concerned Central line Ministries and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

New Proposed Project:

Himachal Pradesh Clean Energy Transmission Investment Program (HPCETIP)" with total estimated cost of ₹ 1927.00 crore will be implemented by HP Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL) established by the Himachal Pradesh Government. ADB shall provide a loan amounting to ₹ 1540.00 crore which is 80% of the total investment The rest 20% share i.e. ₹ 387.00 crore shall be borne by the State Government. The MFF is expected to have the three Tranches. The total duration of this program is 6 years (2012-17).

Bilateral Collaboration Between Himachal Pradesh and British Columbia, Canada:

Various meetings between State Government and representatives of High Commissioner of Canada and Consul General of Canada based at Chandigarh were held for mutual cooperation. Consequent to the series of meetings / discussions and after the approval of State Government a "Letter of Intent" was signed between State Government of Himachal Pradesh and Government of British Columbia, Canada on 16th November, 2011 at Chandigarh to develop and strengthen bilateral relations through mutual exchange and cooperation. The letter of intent was signed by Ms. Rajwant Sandhu, Chief Secretary representative of Himachal Pradesh and Ms. Dana Hayden, Deputy Minister, representative of British Columbia.

The details of on going and in pipeline EAPs are given at **Annexure-** 'A' and 'B' respectively.

Annexure-'A'

Financial Progress of EAPs upto 31.03. 2012

(₹ in Crore) **Sharing Pattern** Reimbursement Sr. **Jutlay for 2011-12** Up to 31.03. 2011 Concluding Date Cumulative exp. Upto 31-3-2011 reimbursement Received Reimbursement Targets for 2011-12 during 2011-12 upto No **Total Cost** incurred during rpto 31.03.2012 31.03.2012 Starting Date Expenditure Jumulative Original Revised % age %age Filed Received Name of the Project External State Aid Share 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 06/2013 WB Aided HP State Road Project 1365.43 1770.75 07/2007 72.50 27.50 486.70 185.25 270.00 294.83 315.00 211.09 240.94 Mid Himalayan Watershed 365.00 365.00 10/2005 03/2013 80.00 20.00 250.01 198.71 55.00 55.00 31.00 46.70 46.70 Development Project Swan River Integrated Watershed 160.00 160.00 85.00 35.00 03/2006 03/2014 15.00 73.43 62.95 35.00 21.00 30.96 28.14 Management Project Hydrology Project-II (WB) 49.50 49.50 04/2006 06/2012 77.76 22.24 23.94 14.75 8.58 13.50 8.49 7.35 7.77 ADB assisted Infrastructure Development Investment Programme 428.22 70.00 30.00 10.00 6.00 1.93 428.22 2010 2020 0.10 2.65 1.93 for Tourism in HP JICA assisted Himachal Pradesh Crop Diversification Promotion Project 321.00 321.00 06/2011 03/2018 85.00 15.00 8.20 2.37 5.00 1.18 **Total (1-6)** 2689.15 3094.47 834.18 391.70 398.34 385.35 299.63 326.29 461.66 7. ADB assisted Power Projects Sawara Kuddu HEP (111MW) 11/2008 431.26 148.53 226.72 133.08 171.11 728.00 1181.91 03/2014 Integrated Kashang (Stage-I) HEP (65 1939.00 1939.00 11/2008 300.41 58.15 159.52 129.03 113.08 MW) (Stage- II & III) HEP (130 MW) Sainj HEP (100 MW) 01/2011 139.90 0.00 128.74 43.77 57.66 06/2016 765.00 802.96 53:17 30.00 Shongtong Karcham HEP (450 MW) Loan yet 32.48 0.00 34.17 272.60 370.00^* 2750.00 2750.00 to be signed Capacity Development 45.00 45.00 100.00 0.00 0.00 For above mentioned (1 to 4) power projects Total –Power Projects (1-5) 6227.00 6718.87 904.05 370.00 549.15 272.60 305.88 206.68 341.85 Grand Total (a + b) 8916.15 9813.34 1738.23 668.34 761.70 947.49 657.95 605.51 668.14

^{*} ADB share only.

Annexure- "B"

EXTERNALLY AIDED PROJECTS IN PIPELINE:-

Sr. No.	Name of Project	Name of Department	Name of Donor Agency	Total Estimated cost (₹ in crore)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Environmentally Sustainable Development Project	Department of Environment, Science and Technology	World Bank	₹ 900.00 crore	In pipeline
2.	Preparing an Investment Plan for HP Urban Development (Technical Assistance to Bridge Infrastructural Gaps)	Urban Development Department	ADB	₹ 675.00- 900.00 crore	In pipeline
3.	Gravity Drinking Water Supply Project for Shimla from Pabbar River	I&PH	World Bank	₹ 1417.00 crore	In pipeline
4.	Technical Assistance for Capacity Development for project management of Infrastructure Development for Rural Livelihood Enhancement	Tourism	ADB	₹ 5.40 crore	In pipeline
5.	Lift Water Supply Scheme to Shimla Town from Kol Dam Reservoir on river Satluj near Sunni	I & PH	World Bank	₹ 324.00 crore	In pipeline
6.	Himachal Pradesh Ecosystems and Eco- services Management and Development Project	Forest	GIZ	₹500.00 crore	In pipeline

VIII. NABARD-RIDF DIVISION:

- 2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Govt. has either got projects approved or has posed projects to the NABARD for funding are:-
 - (i) Construction of Roads and Bridges.
 - (ii) Construction of Irrigation schemes.
 - (iii) Construction of Flood Protection Works.
 - (iv) Construction of Primary School Buildings (Under S.B.V.S.Y.).
 - (v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
 - (vi) Establishment of Citizen Information Centres.
 - (vii) E-Governance.
 - (viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
 - (ix) Watershed Development Project.
 - (x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.
 - (xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
 - (xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.

3. Upto 31^{st} March, 2012 the NABARD has sanctioned a loan assistance of $\stackrel{?}{\underset{?}{$\sim}}$ 3464.80 crore in favour of Himachal Pradesh, the tranche-wise break-up is given as under :-

(₹ in crore)

	T		1	1		n crore)
Sr. No	Description of Programme	Duration	No. of Schemes Sanctioned		State Contri- bution	Total Amount Sanctioned
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	359	256.09	32.55	288.64
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15 (UPTO 31.03.2012)	225	423.71	41.81	465.52
	GRAND 7	TOTAL (I TO XVII)	4634	3464.80	331.31	3796.11

4. Against the above sanctioned NABARD loan the State Govt. has received/availed an amount of ₹ 2309.45 crore upto 31.03.2012 from the NABARD. The tranchewise details are as under :-

(₹ in Crore)

Name of	NABARD's	Tranc	Percentage of		
Programme	Loan Sanctioned	1995-96 to 2010-11	2011-12 (upto31-03-12)	Total	Loan availed
1.	2.	3.	4.	5.	6.
RIDF-I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
RIDF-II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
RIDF-II	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
RIDF-IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
RIDF-V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
RIDF-VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
RIDF-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
RIDF-VIII	169.29	154.00	0.00	154.00	90.97
RIDF-IX	141.70	111.59	0.00	111.59	78.75
RIDF-X	91.64	78.82	0.00	78.82	86.01
RIDF-XI	224.67	194.16	15.59	209.75	93.36
RIDF-XII	272.30	202.55	24.52	227.07	83.39
RIDF-XIII	256.09	158.91	21.80	180.71	70.56
RIDF-XIV	424.82	220.50	47.70	268.20	63.13
RIDF-XV	454.13	170.28	43.42	213.70	47.06
RIDF-XVI	394.53	112.24	32.30	144.54	36.64
RIDF-XVII	423.71	0.00	114.67	114.67	27.06
Total :-	3464.80	2009.45	300.00	2309.45	66.65

^{*} The disbursement figure exceeded from sanction due to the fact that advance earlier paid/released was not adjusted in future drawls.

5. Year-wise detail of Reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2011-12

Year	Reimbursement Availed
	(₹ in Crore)
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.91
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	300.00
2011-12	300.00

6. Loan Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2011-12:-

(₹ in Crore)

Sr. No.	Year/Tranche	Loan Sanction	Achievements	% age
		Target		
1.	2006-07	277.00	273.48	98.73
	(XII)			
2.	2007-08	298.00	299.26	100.42
	(XIII)			
3.	2008-09	406.00	425.12	104.71
	(XIV)			
4.	2009-10	398.00	454.50	114.20
	(XV)			
5.	2010-11	400.00	412.90	103.22
	(XVI)	(HPC Approved)		
	, ,	560.00 (NABARD)		
6.	2011-12	400.00	423.71	105.93
	(XVII)	(HPC Approved)		
		540.00 (NABARD)		

7. The Planning Department has been made the Nodal Department for selection, approval and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

8. Details of RIDF review meetings held during the year 2011-12:

Sr.	Name of the Meeting	Date and Place of	Under the Chairmanship
No.		meeting	
1.	2.	3.	4.
1.	37 th HPC Meeting.	07.05.2011	Chief Secretary to the
		(Shimla-2)	GoHP.
2.	38 th HPC meeting on RIDF.	07.10.2011	Pr. Secretary (Planning) to
		(Shimla-2)	the GoHP.
3.	Review Meeting.	29-11-2011	Chief General Manager,
		(Regional Office,	NABARD
		NABARD, Shimla-9)	

In addition to above mentioned meetings, monthly review meetings were held in the Regional Office of NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. Physical and financial progress of each departments were reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required.

IX. NEW 20-POINT PROGRAMME-2006 DIVISION:

- 1. Planning Department has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of progress reports of Twenty Point Programme (TPP) from the year 2007. The State Government has been placed in **Very Good** category on the basis of its performance on 16 Parameters evaluated under the Programme during the year 2010-11.
- 2. Due to rigorous monitoring by Planning Department, the performance under Twenty Point Programme has been excellent. The programme is regularly reviewed in the meetings chaired by Chief Secretary, Himachal Pradesh. and also in COS meeting. During 2011-12, review meetings were held on 27th July, 2011, 14th September, 2011 and 21st January, 2012.
- 3. In order to inculcate competition among Districts for the implementation of TPP, the State Govt. has introduced other District Ranking Analysis from the year 2009-10. Beside, an incentive prize amounting to ₹ 1.00 crore has been introduced for three best performing Districts. ₹ 50.00 lacs, ₹ 30.00 lacs and ₹ 20.00 lacs is given to 1^{st} , 2^{nd} and 3^{rd} best performing district respectively. During 2010-11, two districts, viz; Kangra & Shimla have jointly shared 1^{st} rank and Hamirpur, Sirmaur, Una & Solan districts are tied on 3^{rd} rank. The award money of ₹ 100 crore was distributed among districts in the following manner:-

(₹ in lacs)

Rank	Name of District	Amount
1.	2.	3.
1.	Kangra	25.00
2.	Shimla	25.00
3.	Hamirpur	12.50
4.	Sirmour	12.50
5.	Una	12.50
6.	Solan	12.50

- 4. During the year 1-4-2011 to 31-3-2012 the performance of the State in all the 16 ranking items, remained **Very Good.**
- 5. The comprehensive guidelines on Twenty Point Programme-2006 have been issued and hoisted on the website (www.hpplanning.nic.in) of State Planning Department. All the reporting items have been identified for all the departments in respect of monthly monitorable items and these have been put on the website of Planning Department.

X. RAILWAY DIVISION:

The Railway Division of Planning Department has taken the following actions during the year 2011-12 for the expansion of rail network in Himachal Pradesh:

1. Nangal – Talwara BG Rail line:

- (a) In Himachal Pradesh, length of Nangal Talwara rail line is 56 Kms. During the year 2011-12, rail line from Chururu Takarla to Amb- Andaura section has been opened for the rail traffic.
- (b) Notifications u/s 4, 6 & 7of Land Acquisition Act, 1894 have been issued for the 18 villages under Amb Andaura to Daulatpur Chowk section (17 Kms).
- (c) Approval for disbursement of award of 18 villages has been accorded.
- (d) To restore the reduction made in the Railway Budget, a resolution under Rule 101 was passed in the winter session of H.P Vidhan Sabha on 22nd December 2011 and this resolution has been sent to the Chairman, Railway Board, New Delhi.

2 Bhanupalli- Bilaspur- Beri BG Rail Line:

- (a) The length of Bhanupalli-Bilaspur–Beri BG rail line is 63 Kms. 25 villages falls (Bhanupalli to Dharot) in the first 20 Kms of this rail line, out of which 14 villages are in Punjab and 11 villages in District Bilaspur Himachal Pradesh.
- (b) The notification u/s 4, 6 & 7 of Land Acquisition Act 1894 has been issued in respect of all the 25 villages falling in the first 20 Kms of this rail line.
- (c) The Railways have ordered Geological and Geo-Technical investigation survey of this rail line and has asked State Govt. to keep land acquisition work in abeyance. The State Govt. has taken up the matter with Chairman, Railway Board for speedy completion of survey.

3 Bilaspur- leh via Mandi-Manali Leh-Ladakh Rail Line:

- (a) Due to strategic importance of the rail line for ferrying of defence equipments to the border areas and to boost the regional economy, State Government has taken up the matter with Planning Commission and Ministry of Railways for the extension of this Rail line upto Leh –Ladakh.
- (b) As per the survey report of Railway Ministry, the construction cost of this 498 Km long line has been assessed as ₹ 22831 crore.

4. <u>Conversion of Pathankot-Jogindernagar Narrow Gauge rail line into Broad Gauge</u> rail line & its extension upto Leh-Ladakh via Mandi:

- (a) The state Government has taken up the proposal with the Ministry of Railways to convert the Pathankot-Jogindernagar Narrow Gauge rail line into Broad Gauge rail line and extend it via Mandi –Manali-upto Leh-Ladakh because of its great strategic importance for the country and for ensuring uninterrupted and timely supply of ration and machinery to armed forces deployed in Leh- Ladakh region near the Indo China border.
- (b) The survey works of this line has been completed and as per the survey report the cost of construction of this 181 Km. long line has been assessed as ₹ 3280 crore. (with electric traction) ₹ 2888 crore (with diesal traction).
- (c) Now the Railway Board is demanding 33% of construction cost and providing land free of cost for the conversion of this line from the State Government. The State Government has requested the Railways Authorities that due to limited resources available, the State Government is unable to bear the 33% cost. State Government has taken up the matter of state share with Government of India.

5. <u>Baddi-Kalka Rail Line:</u>

- (a) Keeping in view the already established/ upcoming industries, education hub and commercial complexes in Baddi-Barotiwala –Nalagarh area, the State Government has taken up this issue with the Ministry of Railways to complete the survey work in a time bound manner.
- (b) Railway has informed that survey of this line has been completed and submitted to Railway Board on 11-4-2011 for consideration.
- (c) As per survey, the Project cost of this project has been assessed as ₹ 385 crore.

6. <u>Ghanauli-Dehradun via Nalagarh-Jagadhari-Surajpur-Kala Amb-Paonta Sahib</u> Rail Line:

Ministry of Railways has included this new rail line project under "New Rail Line Survey in the Railway budget 2010-11. The required basic data for the survey work as requested by the Chief Commercial Manager (TS), Northern Railway has been provided by the State Government.

XI. EVALUATION DIVISION:-

Evaluation Division of Planning Department is entrusted with the evaluation work of different plan schemes and projects. The objectives of the evaluation is to make assessment of the implementation process, identify bottlenecks and gaps in implementation of the schemes and programmes and based on these finding, suggest remedial measures to make implementation process more effective. A Technical Advisory Committee under the Chairmanship of Financial Commissioner-cum-Secy. (Planning) to the Government of Himachal Pradesh has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies.

At present, the Evaluation Division is engaged in conducting the following evaluation studies which are in different stages of completion as per the following details:

1. Study on Sectoral Decentralised Planning Programme:

This study was started in the year 2004 and the schedules were sent to the District Planning Offices for collecting information from the field. The filled up schedules received back were full of discrepancies and inconsistencies, which came into light after careful scrutiny of these schedules. These discrepancies in inconsistencies were addressed to by sending these schedules back to field offices and the whole exercise was coordinated from the Headquarters of Planning Department. After receiving complete information, the data was compiled, analysed and draft report was prepared.

2. Evaluation Study on Watershed Development Programme:

The study was started in the year 2005-06. The filled up schedules received in the Planning Department were incomplete in many respects. Also, the schedules designed earlier could not cover some of the aspects of Watershed Development Programme being implemented by different departments. In view of this, a decision was taken in the meeting of the Technical Advisory Committee held on 12th December, 2011 to re-design and reconduct the study by collaborating with the Department of Rural Development. Research design and schedules for conducting the study were finalized in consultation with the Department of Rural Development and field survey was started in February, 2012.

3. <u>Evaluation Study on Computerisation of Accounting System of Temple Trusts</u> in Himachal:

The study was initiated in the year 2009-10. This study aimed at making an assessment of the functioning of computerized management of accounting system in these Temple Trusts where the department of Information & Technology has supplied Hardware and Software. The report was finally written in the month of March, 2012.

4. Survey of Registrants in the Regional Employment Exchanges:

The survey of registrants was done in Regional Employment Exchange in Shimla only. The report was completed and put up for approval of the Government. The Government decided to expand the scope of the study by surveying registrants of Employment Exchanges of Kangra, Mandi and Solan districts also. The registrants were sent questionnaires through mail. By the end of February, 2012 a total number of 938 questionnaires had been received. Compilation of information contained in the questionnaires has been started. This study attempts to assess the Socio Economic status of the Registrants in the Employment Exchanges.

5. <u>Evaluation Study of Rashtriya Sam Vikas Yojana:</u>

The Ministry of Panchayati Raj, Government of India has decided that the State Planning Department will conduct the Evaluation Study of Rashtriya Sam Vikas Yojana implemented in Sirmour and Chamba districts of Himachal Pradesh. Considering limited manpower at the disposal of Evaluation Division; it was decided by the Government to outsource the study. Accordingly, bids have been invited for conducting the study. The Evaluation Study will look into the issues related to effectiveness of the programme in meeting of its objectives. Accordingly, bids have been invited for the study.

XII. MLA PRIORITY DIVISION:

The following main tasks have been assigned and performed by MLA Division during the year 2011-12:-

The division is assigned the task to hold the meetings of the Hon'ble MLA's with the Hon'ble Chief Minister to identify the plan priorities based on priority schemes of the Hon'ble MLAs. The identified schemes are included in the Annual Plan Budget of the State. The division has compiled and published the MLAs priority schemes for the year 2012-13. This document consists of "Really New Schemes" and "Ongoing Schemes" prioritized by the concerned Hon'ble MLAs under three sectors i.e. Minor Irrigation, Roads & Bridges and Rural Water Supply. This compilation is a part of State Annual Plan Budget Document. The Action Taken Report on the issues raised by Hon'ble MLAs is prepared by the division and circulated to all Hon'ble MLAs. For the first time, Mid Term Review meetings were held on 20th & 21st September, 2011 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister Himachal Pradesh. In these meetings, follow up action report on the decisions taken in the previous year meetings, which were held on 27th and 28th January 2011, was also provided. The Annual Hon'ble MLAs' meetings were held on 13th & 14th February, 2012 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister Himachal Pradesh. In these meetings, follow up action report on the decisions taken in the previous meetings, held on 20th and 21st September 2011, was also provided.

XIII. COMPUTERISATION DIVISION:

Computerisation Division has been constituted for fulfilling the computer needs of Planning Department. All the reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and lateron get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department:-

- 1. Modifications/Updation of GN Software for 2011-12.
- 2. Development of Plan Budget Monitoring Software.
- 3. Modifications/Updation of RIDF Software.
- 4. Modifications/Updation of MLA Priority Schemes Software.
- 5. Development of Evaluation Study Software for generating frequency tables.
- 6. Document of Annual Plan 2011-12.
- 7. Package on Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
- 8. MLA Priority Schemes Data Entry.
- 9. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
- 10. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
- 11. Income Tax Statements Software.
- 12. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year 2011-2012.
- 13. Fact Book on Manpower Publications.
- 14. Power Point Presentation on various meetings in the department.
- 15. Twenty Point Programme Quarterly Document.
- 16. Development of Department Web site and site maintenance/updation.
- 17. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
- 18. Results Framework Document Monitoring.
- 19. e-Despatch Monitoring.
- 20. MPLADs Software Monitoring.
- 21. Decentralized MIS Software Monitoring.

3.3. DISTRICT OFFICES:

District Planning Cells have been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff has been provided in District Planning Cells:-

- 1. District Planning Officer.
- 2. Credit Planning Officer.
- 3. Assistant Research Officer.
- 4. Statistical Assistant.
- 5. Sr. Assistant (two posts in District Shimla, Mandi and Kangra).
- 6. Steno-Typist.
- 7. Clerk.
- 8. Peon.

All the decentralized planning programme such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc have been implemented at district level through the concerned District Planning Cell. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job monitoring and reviews of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee on quarterly basis. District Planning Officers function as a Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the decentralization objective of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

4. INFORMATION OF RTI ACT-2005:

Annual updation of publication in terms of Section 4(1)(b) of the Right to Information Act. 2005.

(i)	Particulars of organization, functions and duties.	Please see heading "1.BACKGROUND AND INTRODUCTION" and 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE"
(ii)	Powers and duties of its Officers and Employees.	Adviser (Planning): Overall administrative and financial control of the Department. He helps Principal Secretary (Planning) to the GoHP in discharging various responsibilities to achieve organizational goal. Adviser (Planning) works under the overall control of Principal Secretary (Planning) to the GoHP.
		Joint Director (Planning): Joint Director (Planning) was promoted to the post of Adviser (Planning) on 1 st February, 2010 and since then the post of Joint Director (Planning) is vacant.
		Deputy Directors: All the Deputy Directors control various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.
		Research Officers: All the Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers.
		<u>District Planning Officers</u> : The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading "3.3. DISTRICT OFFICES ".
		Assistant Research Officers: Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.
		<u>Statistical Assistants:</u> Deal with the various works / proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.
		<u>Computer:</u> They perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers.

Program Planning Officer (PPO): The PPO is the in-charge of the Computer Cell. He helps in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.

<u>Computer Operators</u>: They assist the PPO in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department.

<u>Superintendent</u> <u>Gr.-II:</u> Superintendent Gr.-II supervises the work of Administration Division. All the Senior / Junior Assistants and clerks of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to DDO / Deputy Director (Administration) for final decision at appropriate level.

<u>Senior Assistants / Junior Assistants:</u> Deals with administrative, personnel, budget, organizational, etc matters and also works assigned by Superintendent / DDO / Higher Officers.

<u>Clerks</u>: Perform duties and functions as assigned to them by DDO / Supdt. Gr.-II including the work of diary despatch of the Department.

Personal Assistant / Sr. Scale Stenographer / Jr. Scale Stenographers: Perform duties with Head of Department, Joint Directors / Deputy Directors, such as dictation / typing work / attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.

<u>Steno Typists</u>: Perform duties of dictation and typing work with the officers. Ten posts of Steno-Typists are sanctioned in the ten Non-Tribal Districts and they performed their duties with the District Planning Officers in the Districts.

<u>**Duplicating Machine Operator:**</u> To operate the Photostat machines of the Department.

Peons: They perform the duties as per office manual.

<u>Chowkidar</u>: Keep watch and ward during and after office hours of all the office rooms of the department. He is also responsible for all precautionary measures relating to prevention of fire and damage to Government property.

Sweeper: To sweep, clean and mop of rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.

(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability.	Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department. The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director / Divisional Heads for final decision / disposal. Divisional heads are responsible and accountable for supervisions and timely disposal of work in respect of their division (s).
(iv)	Norms set by it for the discharge of its functions.	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.
(v)	Rules, Regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:- CCS Leave Rules, 1972. CCS and CCA Rules. HPFR Rules. FR & SR Rules. Medical attendance Rules. House Building Advance Rules. L.T.C. Rules. Budget Manual. Office Manual. Pension Rules. GPF Rules.
		Guidelines for implementation of the following programmes:- Sectoral Decentralized Planning (SDP). Vikas Mein Jan Sahyog Program (VMJS). Vidhayak Ksehetra Vikas Nidhi Yojna (VKVNY). Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY). Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs). Back Area Sub Plan (BASP). Rural Infrastructure Development Fund (RIDF). Externally Aided Projects (EAPs). District Innovative Fund (DIF).
		Guidelines / instructions issued by the Government from time to time are used by officers and officials for discharging their functions and duties.

(vi)	Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.	Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Twenty Point Programme Quarterly District Ranking Analysis Reports and Annual Administrative Report.
(vii)	The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.	The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees at Sub Divisional level. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion / suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.
(viii)	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	The following Boards / Committees have been constituted in the department:- Himachal Pradesh State Planning Board. State Level Planning, Development & Twenty Point Program Review Committee. District Level Planning Development & Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts. Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review & Public Grievance Committees. Meetings of these committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.
(ix)	A directory of its officers and employees;	Detail given under heading "2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT".
(x)	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time. Pay Band & Grade Pay of the posts are given under heading "2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT".

(xi)	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of the each divisions.
(xii)	The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	There is no subsidy programme being executed directly by the department.
(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,	Not applicable. Only Plan budget quarterly authorization to incur an expenditure is granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners.
(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website http://hp_planning.nic.in.
(xv)	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	The Public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on holidays.
(xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	Information is given below.
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.	Nil

Particulars of the APIOs, PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.

Sl. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appelate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction/Unit under his control for which he will render information		
				to applicants		
1.	2.	3.	4.	5.		
(A)	SECRETARIAT LE	EVEL				
1.	Public Information	(Under / Dy. / Joint	Armsdale Building	Planning Department		
	Officer.	Secretary (Plg.) to	H.P. Sectt. Shimla-2	at Secretariat level.		
		the Govt. H.P	Tel.No.2628486			
2.	Appellate Authority	Secretary	Armsdale Building	Planning Department		
		(Planning) to the	H.P. Sectt. Shimla-2.	at Secretariat level.		
		Govt. H.P.				
		dated 27-06-2009 under se	ection 5 and 19 of "Right to	Information, Act 2005" (Act		
	22 of 2005).					
	STATE LEVEL	T .				
1.	Public Information	Deputy Director	Armsdale Building,	Planning Department		
	Officer.	(Administration)	Yojna Bhawan, H.P.	at State level.		
			Sectt. Shimla-2			
			Tel.No.2627834			
2.	Assistant Public	Research Officer	Armsdale Building,	Planning Department		
	Information Officer	(DDO)	Yojna Bhawan, H.P.	at State level.		
			Sectt. Shimla-2			
			Tel.No. 2620977			
3.	Appellate Authority	Adviser (Planning)	Armsdale Building,	Planning Department		
			Yojna Bhawan, H.P.	at State level.		
			Sectt. Shimla-2			
			Tel.No. 2621698			
Notification No. PLG.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 and dated 16-04-2010 under section 5 and 19 of "Right to						
Infor	Information, Act 2005".					

Sl. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appelate Authority	Design- ation	Address with Telephone No.	Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants	
1.	2.	3.	4.	5.	
` ′	DISTRICT LEVEL				
1.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Shimla Telephone No. 0177-2808399	Concerned District.	
2.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Solan Telephone No. 01792- 220697	Concerned District.	
3.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Siamrur at Nahan Telephone No. 01702-223008	Concerned District.	
4.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Una. Telephone No. 01975-226057	Concerned District.	
5.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.	
6.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Mandi Telephone No. 01905-225212	Concerned District.	
7.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Chamba Telephone No. 01899-226166	Concerned District.	
8.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.	
9.	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kullu Telephone No. 01902-222873	Concerned District.	
10	Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.	
	Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of "Right to Information, Act 2005".				
